सूचना का अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल– 11

(भाग–II)

(01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक)

निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2 / /5क(02)/06/2024—25 दिनांकः31 मार्च, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 135/XXIV-A-2/2025—25/2007 टी0सी0 एवं शासनादेश संख्या 136/XXIV-A-2/2025—25/2007 टी0सी0 दिनांक 31 मार्च 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना पी0एम0 पोषण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष क्रमशः केन्द्रांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रु0 9535.5 हजार एवं राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रु0 1059.5 हजार, इस प्रकार कुल धनराशि रु0 10595 हजार (रुपये एक करोड़ पाँच लाख पिचानवे हजार मात्र) एवं केन्द्रांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रु0 176466 हजार एवं राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रु0 19608 हजार, इस प्रकार कुल धनराशि रु0 196074 हजार (रुपये उन्नीस करोड़ साठ लाख चौहत्तर हजार मात्र), इस प्रकार दोनों शासनादेशों से कुल रु0 206669 हजार (रु0 बीस करोड़ छियासठ लाख उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को स्वीकृत करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानवार कुल रु0 206669 हजार (रु0 बीस करोड़ छियासठ लाख उनहत्तर हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई—भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलॉटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98632/XXVI/430/ एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलॉटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 19208-13 /5क(02)/06/2024—25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी।

पत्रांक— अर्थ–2/19201-07 /5क(02)/14/2024–25 दिनांक 30मार्च, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024–25 में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठय पुस्तक का वितरण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 101/XXIV-A-2/2025-14/2020(E-83982) दिनांक 21–03–2025 में पुनर्विनियोग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठय पुस्तक का वितरण में रु0 2,66,69,000/— मात्र की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जनपदों से प्राप्त मांग के कम में राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त एवं ऐसे मदरसे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू करते हैं, उनमें अध्ययनरत कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के छात्रों हेतु निशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित किये जाने हेतु धनराशि रु0 12,17,961/— मात्र शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न (बजट आवंटन आई0डी0) विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए निःशुल्क पाठय पुस्तक मुद्रण हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित फर्मो को नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वितीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2— किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। धनराशि अवशेष रहने पर तत्काल निदेशालय को समर्पित की जायेगी। योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय।

3— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI /430/एक/ 2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 20–विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठय पुस्तक का वितरण के मानक मद 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0— अर्थ–2/19201-07/5क(02)/14/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/06/2024–25 दिनांक: मार्च, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 130/XXIV-A-2/2025–25/2007/Vol-1(E-51835) दिनांक 29 मार्च 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में "मुख्यमंत्री अमृत आंचल" योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु0 34179.136 हजार (रुपये तीन करोड़ इकतालीस लाख उनासी हजार एक सौ छत्तीस मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 34179.136 हजार (रुपये तीन करोड़ इकतालीस लाख उनासी हजार एक सौ छत्तीस मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई–भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/ एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02–मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 अर्थ-2/ 19187-91 /5क(02)/06/2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/05/2024–25 दिनांक: 29मार्च, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 195/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में मूल बजट में रु0 100000 हजार मात्र (रु0 दस करोड़ मात्र) धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष सहायता प्राप्त मा0वि0 से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग योजना में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2024–25 में मासिक वेतनादि का भुगतान किये जाने हेतु धनराशि रु0 143.976 हजार मात्र (रु0 एक लाख तैंतालीस हजार नौ सौ छियत्तर मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2024–25 में संबंधित विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करें। आहरण वितरण अधिकारी स्तर पर बजट होने के बावजूद भी यदि कार्मिकों को मासिक वेतन का प्रतिमाह भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी की होगी।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3– वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

4– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय।

5– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 19165-71 /5क(02)/05/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक– अर्थ–2/ 19136-42 /5क(02)/05/2024–25 दिनांकः 28 मार्च, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में मूल बजट में एवं शासनादेश संख्याः 84/XXIV-A-2/2025-14/2020(E-84738) टी0सी0 दिनांक 28.03.2025 से पुनर्विनियोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल एवं सहायता प्राप्त मा0वि0 से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग योजना में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2024–25 में मासिक वेतनादि का भुगतान किये जाने हेतु धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2024–25 में संबंधित विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करें। आहरण वितरण अधिकारी स्तर पर बजट होने के बावजूद भी यदि कार्मिकों को मासिक वेतन का प्रतिमाह भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी की होगी।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3– वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

4– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय।

5– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 19136-42/5क(02)/05/2024–25/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/06/2024—25 दिनांक 28 मार्च, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 134/XXIV-A-2/2025—25/2007 टी0सी0 दिनांक 27 मार्च, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना पी0एम0 पोषण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रु0 309025 हजार (रुपये तीस करोड़ नब्बे लाख पच्चीस हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रु0 31098 हजार (रुपये तीन करोड़ दस लाख अट्ठानवे हजार मात्र), इस प्रकार कुल धनराशि रु0 340123 हजार (रुपये चौंतीस करोड़ एक लाख तेईस हजार मात्र) को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विकरणानुसार अनुदानवार रु0 340123 हजार (रुपये चौंतीस करोड़ एक लाख तेईस हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई—भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलॉटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलॉटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/19057-62 /5क(02)/06/2024—25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/14/2024–25 दिनांकः 28 मार्च, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 101/XXIV-A-2/2025-14/2020(E-83982) दिनांक 21–03–2025 में पुनर्विनियोग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण में रू0 2,66,69,000/– मात्र की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जनपदों से प्राप्त मांग के कम में राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त एवं ऐसे मदरसे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू करते हैं, उनमें अध्ययनरत कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के छात्रों हेतु निशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित किये जाने हेतु धनराशि रू0 13,47,318/– मात्र शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न (बजट आवंटन आई0डी0) विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मुद्रण हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित फर्मो को नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वितीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। धनराशि अवशेष रहने पर तत्काल निदेशालय को समर्पित की जायेगी। योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय।

3– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI /430/एक/ 2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 20–विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण के मानक मद 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/19088–94/5क(02)/14/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2 / /5क(02)/06/2024—25 दिनांक: 28 मार्च, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 132/XXIV-A-2/2025—25/2007/Vol-1(E-73720) दिनांक 26 मार्च 2025 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 में 24938 भोजनमाताओं के मानदेय भुगतान हेतु रु0 102723 हजार (रुपये दस करोड़ सत्ताईस लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।।

अवमुक्त धनराशि संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 102723 हजार (रुपये दस करोड़ सत्ताईस लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई—भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जाने का प्रस्ताव है।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02—मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42—अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 18960 — 65 /5क(02)/06/2024—25/दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2 / /5क(02)/11/2024–25 दिनांकः25मार्च, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन एजूकेशनल पोर्टल योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या 83/XXIV–A-2/2024-14/2020 दिनांक 24.03.2025 में पुनर्विनियोग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारंभिक शिक्षा के अधीन एजुकेशनल पोर्टल योजना के संचालन के लिए अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 106–अध्यापक और अन्य सेवायें, 02–एजूकेशन पोर्टल में रु0 319 हजार मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानक मद 25–उपयोगिता बिलों का भुगतान में बजट व्यवस्था ग्लोबल बजटिंग में होने के कारण आवंटित नहीं की जा रही है। उक्त मद में व्यय ग्लोबल बजटिंग के अन्तर्गत किया जायेगा। शेष धनराशि रु0 279 हजार (रु0 दो लाख उनासी हजार मात्र) को अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 106–अध्यापक और अन्य सेवायें, 02–एजूकेशन पोर्टल योजना अन्तर्गत संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVII (1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित 2019, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– योजना के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये। गलत आहरण किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित पटल प्रभारी लेखा की होगी।

4– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

5– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

6– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

7– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 106–अध्यापक और अन्य सेवायें, 02–एजूकेशन पोर्टल के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/18890-95/5क(02)/11/2024–25/दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़,
पौड़ी, टिहरी।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/13/2024–25 दिनांक 22 मार्च, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/XXIV(I)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 06 अगस्त 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से रू0 5646 हजार (रुपये छप्पन लाख छियालीस हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 की शर्तों के अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षो में अनुरक्षण/निर्माण कार्य हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इत्तर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

8– निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

9– कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

10– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

11– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर **(IFMS)** के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के आधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीया,

(स्मृति खण्डूडी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/18735-40 /5क(02)/04/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(स्मृति खण्डूडी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

<u>बजट आवंटन</u>

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी।

पत्रांक— अर्थ—2/ X /5क(02)/04/2024—25 दिनांकः 22—मार्च, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 86/XXIV-A-2/2024-14/2020(E-13490) दिनांक 07.03.2025 में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04—राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22—कार्यालय व्यय में पुनर्विनियोग द्वारा रु0 3400 हजार मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 101.5 हजार (रु0 एक लाख एक हजार पाँच सौ मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(I)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

3— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

4— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

5— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक /2018/2023— ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए

प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न: बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीया,

(स्मृति खण्डूडी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/18741-46/5क(02)/04/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(स्मृति खण्डूडी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

1— वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर।

पत्रांक— अर्थ—2 / /5क(02)/03/2024—25 दिनांक: 22 मार्च, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/ XXIV(1)–A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 एवं 547/XXIV(1)–A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं की विभिन्न मानक मदों में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के कम में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष **क्षेत्रीय निरीक्षण योजना** के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ **रु0 854 हजार (रुपये आठ लाख चव्वन हजार मात्र)** धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उत्तराखण्ड शासन के **शासनादेश संख्या 79/XXIV-A-2/2025—14/2020 टी0सी0 दिनांक 18.03.2025** द्वारा जि0शि0अधि0, प्रा0शि0, ऊधम सिंह नगर द्वारा प्राप्त कराये गये कार्यालय भवन के आंगणन की रु0 1432 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। तदक्रम में मानक मद 51—अनुरक्षण में उपलब्ध धनराशि **रु0 824 हजार** प्रथम किश्त के रुप में आवंटित की जा रही है, शेष धनराशि उपभोग प्रमाण—पत्र प्राप्त कराये जाने के पश्चात् आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट के सापेक्ष नियमानुसार की जायेगी।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः—201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 एवं 323/XXVII(07)/19-50(07)/2019 दिनांक 20.09.2019 एवं समय—समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशो की शर्तों के अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2— उक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा, ऊधम सिंह नगर के भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के सदुपयोग का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य शिक्षाधिकारी/जिला शिक्षाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा का होगा।

3— उक्तानुसार आवंटित अनुरक्षण सम्बन्धी धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

4— अनुरक्षण सम्बन्धी धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्यालय को पिछले पाँच वर्षों में अनुरक्षण/निर्माण कार्य हेतु विभाग/सांसद—विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो।

5— आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6— अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

7— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

8— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

9— निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

10— अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

11— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

12— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0

भवदीया,

(स्मृति खण्डूड़ी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/18729-34/5क(02)/03/2024–25/दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(स्मृति खण्डूड़ी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ____________________।

पत्रांक:— अर्थ—2/ /5क(02)/14/2024—25 दिनांक: 27 मार्च, 2025

विषय:— वित्तीय वर्ष 2024—25 में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठय पुस्तक का वितरण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: **101/XXIV-A-2/2025-14/2020(E-83982)** दिनांक **21—03—2025** में पुनर्विनियोग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठय पुस्तक का वितरण में **रु0 2,66,69,000/—** मात्र की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जनपदों से प्राप्त मांग के कम में राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त एवं ऐसे मदरसे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू करते हैं, उनमें अध्ययनरत कक्षा—1 से कक्षा—8 तक के छात्रों हेतु निशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित किये जाने हेतु धनराशि रु0 2,66,68,309/— मात्र शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न (बजट आवंटन आई0डी0) विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से शैक्षिक सत्र 2024—25 के लिए निःशुल्क पाठय पुस्तक मुद्रण हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित फर्मो को नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0—193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2— किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। धनराशि अवशेष रहने पर तत्काल निदेशालय को समर्पित की जायेगी। योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय।

3— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI /430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 20—विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठय पुस्तक का वितरण के मानक मद 56—सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीया,

(स्मृति खण्डूडी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0— अर्थ—2/ 18747-53 /5क(02)/14/2024—25/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(स्मृति खण्डूडी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल,
बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/04/2024—25 दिनांक-२० मार्च, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 86/XXIV-A-2/2024-14/2020(E-13490) दिनांक 07.03.
2025 में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0—11 के लेखाशीर्षक
2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04—राजकीय प्राथमिक एवं उच्च
प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22—कार्यालय व्यय में पुनर्विनियोग द्वारा रु0 3400 हजार मात्र
की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय
योजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 3298 हजार (रु0 बत्तीस लाख अट्ठानवे हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित
शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन
पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण
अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया
जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-
63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के
व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश
संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय
अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय
सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले
वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का
विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव
होगा।

3— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा
तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के
सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

4— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर
उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में
व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि
न किया जाये।

5— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों
का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित
मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च
2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के
माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या
98832/XXVI/430/एक /2018/2023— ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए

प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीया,

(स्मृति खण्डूडी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 18622-27/5क(02)/04/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(स्मृति खण्डूडी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, टिहरी,
उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/04/2024—25 दिनांक 18 मार्च, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/XXIV(1)–A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 एवं 547/XXIV(1)–A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

3— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

4— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

5— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक /2018/2023— ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए

प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 05–विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीय,

(स्मृति खण्डूडी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/18528–33/5क(02)/04/2024–25/दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(स्मृति खण्डूडी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/18528637/5क(02)/04/2024–25 दिनांक 18 मार्च, 2025

1– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में कार्यरत कार्मिकों के यात्रा व्यय मद मे आवंटित धनराशि का विवरण (22020110104)

जनपद टिहरी गढ़वाल					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि
					04–यात्रा भत्ता
1.	श्री कर्ण सिंह, स0अ0	रा0आ0प्रा0वि0, दुगीधार	चम्बा	टिहरी गढ़वाल	6600
2.	श्री चन्द्र प्रकाश, स0अ0	रा0प्रा0वि0 गैरियाढुंग	थौलधार	टिहरी गढ़वाल	10200
3.	श्री अतुल प्रकाश चमोली, स0अ0	रा0प्रा0वि0 कुदवालगांव	चम्बा	टिहरी गढ़वाल	4500
				योग	21500

जनपद उत्तरकाशी					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि
					04–यात्रा भत्ता
1.	श्री रमेश सिंह चौहान, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 दुचाणु	मोरी	उत्तरकाशी	3100
				योग	3100
				महायोग	24600

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/ /5क(02)/04/2024–25 दिनांक मार्च, 2025

2– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के यात्रा व्यय मद में आवंटित धनराशि का विवरण (22020110405)

जनपद टिहरी गढ़वाल					
क0सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि
					04–यात्रा भत्ता
1.	श्री सुदामा जोगीयाल, प्रधा0सहा0	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय, भिलंगना	भिलंगना	टिहरी	12000
				योग	12000

(हस्ताक्षर)
वित्त अधिकारी
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
पौड़ी।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 18478-84 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 12 मार्च, 2025

विषयः– जनपद पौड़ी के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–58/XXIV–A–2/2025–02/2024(E–67327) दिनांक 06 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निम्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण के चालू निर्माण कार्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष कुल धनराशि रु0 52.41 लाख (रूपये बावन लाख इक्तालीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रु0 52.41 लाख (रूपये बावन लाख इक्तालीस हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	कार्य की कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि (50%)	अवशेष धनराशि (50%)
शासनादेश सं0–64 दिनांक 06.02.2024 द्वारा स्वीकृत कार्यः–				
1	रा0प्रा0वि0 सुन्दर (रणगांव)	35.16	17.580	17.580
2	रा0प्रा0वि जैंती डांग	34.83	17.415	17.415
3	रा0प्रा0वि0 डडोली तल्ली	34.83	17.415	17.415
योग				52.41

(रूपये बावन लाख इक्तालीस हजार मात्र)

उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा–03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीया,

(स्मृति खण्डूड़ी)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 18478-84 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(स्मृति खण्डूड़ी)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1– अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।
2– वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक– अर्थ–2 / /5क(02)/03/2024–25 दिनांकः 10 मार्च, 2025

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/ XXIV(1)–A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 एवं 547/XXIV(1)–A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं की विभिन्न मानक मदों में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के क्रम में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष **क्षेत्रीय निरीक्षण योजना** के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ **रु0 62 हजार (रुपये बासठ हजार मात्र)** धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0–I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। संबंधित मद में बजट प्राप्त न होने पर किसी भी दशा में बाजार से सामग्री क्रय न की जाय।

3– योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

4– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

5– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/

XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0

भवदीय,

(स्मृति खण्डूडी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/18365-70 /5क(02)/03/2024–25/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(स्मृति खण्डूडी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग,
पौड़ी, नैनीताल, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/13/2024–25 दिनांक 05 मार्च, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 06 अगस्त 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु0 15681 हजार (रुपये एक करोड़ छप्पन लाख इकासी हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 की शर्तों के अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में अनुरक्षण/निर्माण कार्य हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

8— निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

9— कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

10— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

11— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12—प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0—अर्थ—2/ 18128-34 /5क(02)/13/ 2024—25/ दिनांकः— उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6— सूचना प्रकोष्ठ।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/04/2024–25 दिनांक: 28 फरवरी, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजनान्तर्गत धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 547/XXIV(1)–A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं की विभिन्न मानक मदों में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन के पश्चात् अवशेष धनराशि के सापेक्ष विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत रु0 500 हजार (रुपये पाँच लाख मात्र) धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007टी0सी0–I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

3– अनुरक्षण मद में उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

4– अनुरक्षण मद में धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु विगत पाँच वर्ष में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी।

5– जि0शि0 अधि0 कार्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

7– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

8– अनुरक्षण कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

9– निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

10– अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

11— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

12— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI /430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 104—निरीक्षण, 05—विकासखण्ड स्तर पर उपशिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना योजना के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0—अर्थ—2/ 17942-47 /5क(02)/04/ 2024—25/ दिनांक:— उक्तवत्।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

28/01/25

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

<u>बजट आवंटन</u>

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पौड़ी।

पत्रांक– अर्थ–2 / /5क(02)/04/2024–25 दिनांक 28 फरवरी, 2025

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 319/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09 जुलाई 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत मानक मद 52–लघु निर्माण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि **रु0 150000 हजार(रु0 पंद्रह करोड़ मात्र)** के सापेक्ष पूर्व में आवंटन के पश्चात् शेष धनराशि के सापेक्ष **रु0 563 हजार (रुपये पाँच लाख तिरेसठ हजार मात्र)** को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष लघु निर्माण सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

6— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

8— निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

9— सम्बन्धित कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

10— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

11— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04—राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत मानक मद 52—लघु निर्माण के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0—अर्थ—2/ 17948-53 /5क(02)/04/ 2024—25/ दिनांकः— उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

28/06/24

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/18/2024–25 दिनांक 28 फरवरी, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तकअध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग की धनराशि डी0बी0टी0(DBT) के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 319/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09–07–2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग की धनराशि डी0बी0टी0(DBT) के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु रु0 250000000/- (रु0 पच्चीस करोड़ मात्र) धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन के पश्चात शेष धनराशि में से रु0 10,10,472 (रु0 दस लाख दस हजार चार सौ बहत्तर मात्र) धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न (बजट आवंटन आई0डी0) विवरणानुसार आवंटित करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– आवंटित धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में दिनांक 31–03–2025 तक करवाते हुए भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से संबंधित छात्र–छात्राओं को करवाने का कष्ट करें। भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब/लैप्स होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

3– वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

4– योजनान्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–5 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को प्रति छात्र कुल रु0 318/– मात्र (जूता मूल्य रु0 153/– एवं बैग मूल्य रु0 165/–) जबकि कक्षा–6 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को प्रति छात्र कुल रु0 462/– मात्र (जूता मूल्य रु0 187/– एवं बैग मूल्य रु0 275/–) का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

5– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 13–कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/17954-58/5क(02)/18/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

1. आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
2. वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक— अर्थ—2/ 17512-18 /5क(02)/14/2024—25 दिनांक: 21फरवरी, 2025

विषय:— वित्तीय वर्ष 2024—25 में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 50/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 20—02—2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण में रू0 236251466 (रुपये तेईस करोड़ बासठ लाख इक्यावन हजार चार सौ छियासठ मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जनपदों से प्राप्त बजट मांग के सापेक्ष एवं मुद्रण/प्रकाशन हेतु कॉपीराइट अनुमति के लिए एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली को रॉयल्टी एवं उस पर जी0एस0टी0 के भुगतान हेतु धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न (बजट आवंटन आई0डी0) विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से शैक्षिक सत्र 2024—25 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मुद्रण हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित फर्मो को नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

2— वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0—04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3— किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। धनराशि अवशेष रहने पर तत्काल निदेशालय को समर्पित की जायेगी। योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरुप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय।

4— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सापटवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI /430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

5— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 20—विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण के मानक मद 56—सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 175/2-18 /5क(02)/14/2024—25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

21/02/25

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

सूचना 5 शीट

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा ....।

पत्रांक— अर्थ—2 / /5क(02)/04/2024—25 दिनांकः 21 फरवरी, 2025

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/XXIV(1)–A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 एवं 547/XXIV(1)–A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से **राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय** एवं **विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना एवं शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान** योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु **सॉफ्टवेयर (IFMS)** के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

3— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

4— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

5— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक /2018/2023— ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए

प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 05–विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना एवं 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 18–शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 17323-28 /5क(02)/04/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/17323-28/5क(02)/04/2024–25 दिनांक 21 फरवरी, 2025

1– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में कार्यरत कार्मिकों के यात्रा व्यय एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद मे आवंटित धनराशि का विवरण (22020110104)

जनपद ऊधम सिंह नगर						
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद		
					04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	श्री भाष्कर सिंह, स0अ0	रा0प्रा0वि0 टाण्डाखेम	बाजपुर	ऊधम सिंह नगर	0	84318
				योग	0	84318
जनपद टिहरी गढ़वाल						
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद		
					04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	श्री ऋषिराम सकलानी, से0नि0 स0अ0	रा0आ0उ0प्रा0वि0 इडियान	थौलधार	टिहरी गढ़वाल	12690	0
2.	श्री अरविन्द कुमार डबराल, से0नि0 स0अ0	रा0आ0उ0प्रा0वि0 इडियान	थौलधार	टिहरी गढ़वाल	11410	0
3.	श्री वेणी प्रसाद उनियाल, से0नि0 स0अ0	रा0प्रा0वि0 डण्डी	थौलधार	टिहरी गढ़वाल	11478	0
				योग	35578	0
	जनपद उत्तरकाशी					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद		
					04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	श्री सुमेरचन्द रमोला, स0अ0	रा0प्रा0वि0 कोठाल्डी	चिन्यालीसौड़	उत्तरकाशी	0	25544
				योग	0	25544
	जनपद देहरादून					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद		
					04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	श्री जितेन्द्र राज चौहान (स0अ0)	रा0उ0प्रा0वि0 चन्दर रोड		देहरादून	0	139139
				योग	0	139139
				महायोग	35578	249001

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/17323-28/5क(02)/04/2024–25 दिनांक 21 फरवरी, 2025

2– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के यात्रा व्यय मद में आवंटित धनराशि का विवरण (22020110405)

	जनपद टिहरी गढ़वाल				
क्र0सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि
					04–यात्रा भत्ता
1.	श्री विकास चन्द्र भट्ट, प्रशा0 अधि0	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय चम्बा	चम्बा	टिहरी	9000
2.	श्री टेचन कुमार, मु0प्रशा0अधि0	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रतापनगर	प्रतापनगर	टिहरी	8800
3.	श्री वीरेन्द्र दत्त रतूड़ी, प्रशा0 अधि0	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रतापनगर	प्रतापनगर	टिहरी	17000
4.	श्री महेश प्रसाद पैन्यूली, प्रधा0सहा0	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रतापनगर	प्रतापनगर	टिहरी	2120
5.	श्री मोहन सिंह पंवार, वरि0सहा0	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रतापनगर	प्रतापनगर	टिहरी	18015
				योग	54935
	जनपद देहरादून				
क्र0सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि
					04–यात्रा भत्ता
1.	श्री संदीप जगूड़ी, कनि0सहा0	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर	रायपुर	देहरादून	5492
				योग	5492
				महायोग	60427

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़, हरिद्वार, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/07/2024—25 दिनांक:21/ फरवरी, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 319/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09—07—2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन खेल प्रतियोगिता का आयोजन योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन योजना के अन्तर्गत धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि को प्रत्येक दशा में दिनांक 31—03—2025 तक निम्नानुसार व्यय कर लिया जाय।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

2— उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 944/VI-2/2011—21(6)/2011 दिनांक 16.12.2011 में निर्धारित किये गये मानकानुसार व्यय करवाना सुनिश्चित करें।

3— आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय से संबंधित देयक <u>आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने</u> के उपरान्त नियमानुसार संबंधित को वास्तविक भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जायेगा एवं अवशेष धनराशि को निदेशालय को समर्पित किया जायेगा। <u>किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा,</u> ऐसा किया जाने पर अथवा निदेशालय के संज्ञान में आने पर <u>संबंधित अधिकारी/पटल प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही</u> किये जाने की संस्तुति कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की होगी।

4— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 07—खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन विवरण, अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 17391-94 /5क(02)/07/2024—25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2—सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी।
3—सूचना प्रकोष्ठ।

21/02/25

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
देहरादून।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 17363-69 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 21 फरवरी, 2025

विषयः– **राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–569/XXIV–A–2/2025–24/2024(E–81365) दिनांक 18 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद देहरादून के निम्नानुसार पुनर्निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 **80.41 लाख (रूपये अस्सी लाख इकतालीस हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 80.41 लाख **(रूपये अस्सी लाख इकतालीस हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	देहरादून	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 बैरागीवाला	भवन पुनर्निर्माण	33.05
2		विकासनगर	रा0आ0उ0प्रा0वि0 सभावाला	भवन पुनर्निर्माण	47.36
योग					80.41

(रूपये अस्सी लाख इकतालीस हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं **(Computer Generated ID)**

भवदीय

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 17363-69 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 17373-79 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 21-फरवरी, 2025

विषयः– राजकीय प्राथमिक विद्यालय धीमरखेड़ा, गदरपुर के भवन पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–569/XXIV–A–2/2025–24/2024(E–81365) दिनांक 18 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के निम्नानुसार पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 42.28 लाख (रूपये बयालीस लाख अठाईस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 42.28 लाख (रूपये बयालीस लाख अठाईस हजार मात्र)को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा0प्रा0वि0 धीमरखेड़ा	भवन पुनर्निर्माण	42.28
योग					42.28

(रूपये बयालीस लाख अठाईस हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा–03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 17373-79 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
नैनीताल।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 17380-86 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 21 फरवरी, 2025

विषयः– राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौकबाजर, हल्द्वानी, नैनीताल के भवन मरम्मत कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–569/XXIV–A–2/2025–24/2024(E–81365) दिनांक 18 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद नैनीताल के निम्नानुसार भवन मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 13.38 लाख (रूपये तेरह लाख अडतीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 13.38 लाख (रूपये तेरह लाख अडतीस हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	नैनीताल	हल्द्वानी	रा0प्रा0वि0 चौकबाजार	भवन मरम्मत	13.38
योग					13.38

(रूपये तेरह लाख अडतीस हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा–03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 17380-86 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़,
उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/13/2024–25 दिनांक 21 फरवरी, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 06 अगस्त 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 39850 हजार (रुपये तीन करोड़ अट्ठानवे लाख पचास हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 की शर्तों के अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हा जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में अनुरक्षण/निर्माण कार्य हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन/लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

8— निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

9— कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

10— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

11— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12—प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0—अर्थ—2/ 17329-35/5क(02)/13/ 2024—25/ दिनांकः— उक्तवत्।
प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6— सूचना प्रकोष्ठ।

21/01/25

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/12/2024–25 दिनांकः 21 फरवरी, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(1)(सी0) के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के फीस प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 46/XXIV–A-2/2025-05/2013T.C(E-49698) दिनांक 17.02.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(1)(सी0) के अन्तर्गत अध्ययनरत् एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के फीस प्रतिपूर्ति व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 में रु0 1287000 हजार, अनुदान संख्या–30 में रु0 297000 हजार एवं अनुदान संख्या 31 में रु0 66000 हजार के सापेक्ष क्रमशः अनुदान संख्या 11 में रु0 1287000 हजार, अनुदान संख्या–30 में रु0 297000 हजार एवं अनुदान संख्या 31 में रु0 66000 हजार के सापेक्ष क्रमशः अनुदान संख्या 11 में रु0 615020.080 हजार, अनुदान संख्या 30 में रु0 141927.710 हजार एवं अनुदान संख्या 31 में रु0 31539.490 हजार इस प्रकार कुल रु0 788487.280 हजार (रु0 अठहत्तर करोड़ चौरासी लाख सतासी हजार दो सौ अस्सी मात्र) धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि को अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा के अधीन सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत संलग्न बजट आंवटन आई0डी0 के द्वारा शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि लाभार्थियों के व्यापक सत्यापन के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जाये।

3– व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– Eligible छात्रों को ही इस योजना से लाभान्वित करने हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए प्रतिवर्ष एक Certain Percentage छात्रों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में भौतिक सत्यापन (Random verification) किया जायेगा तथा इसके परिणाम से प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।

5– प्री–प्राइमरी के बारे में नीतिगत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जायें तथा भारत सरकार से जो भी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है, उसको स्टेट ट्रेजरी में जमा करते हुए पूर्व में समायोजित धनराशि की पुष्टि भी सुनिश्चित की जाये।

6– धनराशि का नगद आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। धनराशि का एकमुश्त आहरण ई–कोष के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– विभाग द्वारा 03 माह के भीतर भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।

8– उपरोक्त के अतिरिक्त अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग प्राविधानित उद्देश्यों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु ही किया जायेगा। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बच्चों की प्रतिपूर्ति दिनांक 31–03–2025 से पूर्व कर ली जाये।

9— लाभार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में भुगतान सम्बन्धित अधिकारी स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

10— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 (राजस्व) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमेंट आई0डी0 एवं शासनादेश।

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 17342-47/5क(02)/12/2024—25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
4— "उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्" राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

21/02/25

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1— वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक— अर्थ—2/ 17336-46 /5क(02)/03/2024—25 दिनांक: 21 फरवरी, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/ XXIV(1)—A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 एवं 547/XXIV(1)—A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं की विभिन्न मानक मदों में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के कम में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष **क्षेत्रीय निरीक्षण योजना** के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ **रु0 324.703 हजार (रुपये तीन लाख चौबीस हजार सात सौ तीन मात्र)** धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। संबंधित मद में बजट प्राप्त न होने पर किसी भी दशा में बाजार से सामग्री क्रय न की जाय।

3— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

4— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

5— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/

XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 17336-41 /5क(02)/03/2024–25/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

21/07/24

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक:– अर्थ–2 / /5क(02)/06/2024–25 दिनांक: 11 फरवरी, 2025

विषय:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 20/XXIV-A-2/2024–25/2007/Vol-1(E-73720) दिनांक 04 फरवरी, 2025 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 24938 भोजनमाताओं के मानदेय भुगतान हेतु रु0 149628 हजार (रुपये चौदह करोड़ छियानवे लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। ।

अवमुक्त धनराशि संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 149628 हजार (रुपये चौदह करोड़ छियानवे लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई–भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जाने का प्रस्ताव है।

2– आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

3– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02–मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/16948–53/5क(02)/06/2024–25/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/06/2024—25 दिनांक: 11 फरवरी, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 28/XXIV-A-2/2025—25/2007 टी0सी0 दिनांक 04 फरवरी, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना पी0एम0 पोषण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रू0 309025 हजार (रुपये तीस करोड़ नब्बे लाख पच्चीस हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रू0 31098 हजार (रुपये तीन करोड़ दस लाख अट्ठानवे हजार मात्र), इस प्रकार कुल धनराशि रू0 340123 हजार (रुपये चौंतीस करोड़ एक लाख तेईस हजार मात्र) को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानवार रू0 340123 हजार (रुपये चौंतीस करोड़ एक लाख तेईस हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई—भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलॉटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलॉटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/16942—47/5क(02)/06/2024—25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/05/2024—25 दिनांक: 07 फरवरी, 2025

विषय:— वित्तीय वर्ष 2024—25 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई—स्कूल एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/XXIV(1)—A-2/2024-14/2020टी0सी0 दिनांक 08.04.2024, पत्रांक 194/XXIV(I)-A-2/2024—14/2020टी0सी0 दिनांक 02.05.2024, पत्रांक 395/XXIV(I)-A-2/2024—14/2020टी0सी0 दिनांक 10.09.2024 एवं पत्रांक 616/XXIV(I)-A-2/2025—14/2020 टी0सी0 (E—52779) दिनांक 30.01.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से उपलब्ध बजट के सापेक्ष अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई—स्कूल एवं माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2024—25 में मासिक वेतनादि का भुगतान किये जाने हेतु धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2024—25 में संबंधित विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन का प्रति माह भुगतान करना सुनिश्चित करें। गत वित्तीय वर्षों के वेतनादि की अवशेष धनराशि हेतु पृथक से कार्मिक—वार बजट मांग पत्र निदेशालय को मय पत्रजात सहित उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही बजट आवंटन किया जाना संभव होगा। आहरण वितरण अधिकारी स्तर पर बजट होने के बावजूद भी यदि कार्मिकों को मासिक वेतन का प्रतिमाह भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी की होगी।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(I)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3— वित्तीय वर्ष 2024—25 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0—04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

4— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय।

5— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सापटवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/16787-92/5क(02)/05/2024—25/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5— सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/02/2024—25 दिनांकः 05 फरवरी, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 195/XXiV(1)—A-2/2024-14/ 2020टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 एवं 547/XXIV(1)—A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान स0—11 के राजस्व पक्ष में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु0 85.285 हजार (रुपये पिचासी हजार दो सौ पिचासी मात्र) को अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारंभिक शिक्षा, 001—निदेशन तथा प्रशासन, 03—निदेशालय अधिष्ठान के अन्तर्गत संलग्न बजट आंवटन आई0डी0 के द्वारा शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:—

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVii(7)32/2007टी0सी0—I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय। बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

4— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 001—निदेशन तथा प्रशासन, 03—निदेशालय अधिष्ठान के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 16646-50/5क(02)/02/2024—25/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
4— सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ 16540-45 /5क(02)/06/2024—25 दिनांकः 03 फरवरी, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 615/XXIV-A-2/2025—25/2007/Vol-1(E-73708) दिनांक 28 जनवरी, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु0 58040.100 हजार (रुपये पाँच करोड़ अस्सी लाख चालीस हजार एक सौ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 58040.100 हजार (रुपये पाँच करोड़ अस्सी लाख चालीस हजार एक सौ मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई—भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

3— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

4— यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

5— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

6— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

क्रमशः पृष्ठ 2

7— अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

8— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02—मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42—अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 16540-45 /5क(02)/06/2024—25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/05/2024–25 दिनांक 07 फरवरी, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के अवशेष वेतन के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या अशा0मा0/7647/बजट मांग/2024–25 दिनांक 22.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय में योजित याचिकाओं में पारित निर्णय एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या आ0/715–19/2024–25 दिनांक 31, मई 2024 में दिये गये निर्देश के क्रम में सम्बन्धित याचीगणों के प्रकरणों, जिसमें वित्त विहीन सेवाओं को जोड़ते हुए चयन/प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने हेतु जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर चयन/प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण करने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिकों को देय वेतन के अवशेष का भुगतान किये जाने हेतु रु0 22510669 (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख दस हजार छः सौ उनहत्तर मात्र) की बजट मांग उपलब्ध करायी गयी है।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 616/XXIV(I)-A-2/2025–14/2020 टी0सी0 दिनांक 30.01.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से उपलब्ध बजट के सापेक्ष संबंधित रिट याचिकाओं के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या आ0/715–19/2024–25 दिनांक 31, मई 2024 के अनुपालन में जनपद से प्राप्त मांग के क्रम में विभागाध्यक्ष स्तर पर उपलब्ध रु0 1951968 (रुपये उन्नीस लाख इकावन हजार नौ सौ अड़सठ मात्र) की धनराशि उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

लेखाशीर्षक 2202011020702 अशासकीय सहायता प्राप्त जू0हा0वि0/के0जी0 नर्सरी विद्यालय
मानक मद 05–वेतन भत्ते के लिए सहायक अनुदान

क्र0	जनपद	आवंटन हेतु प्रस्तावित धन0 रु0 हजार में।	योग
1	टिहरी	1951968	1951968
	योग	1951968	
	पूर्व शेष	1951968	
	आवंटन के पश्चात शेष धनराशि	0	

(रुपये उन्नीस लाख इकावन हजार नौ सौ अड़सठ मात्र)

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः/2

2— सम्बन्धित कार्मिकों के अवशेष वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।
3— वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0—04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।
4— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
5— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
6— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07—विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0 /नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02—सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0 /नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत मानक मद 05—वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।
संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0—अर्थ—2/16793-98 /5क(02)/05/2024—25/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी, नई टिहरी।
4— मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी।
5— वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी, नई टिहरी।
सूचना प्रकोष्ठ

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/13/2024–25 दिनांक जनवरी, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2022 के क्रियान्वन किये जाने के लिए जनपद चम्पावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में रूपांतरण कार्य कराये जाने हेतु मानक मद 51–अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/xxiv(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 06 अगस्त 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासन के पत्र संख्या 70/xxiv-A-2/2024–09/2023 दिनांक 26.02.2024 के द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–281/2022 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि रु0 200000 हजार (रु0 बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु0 10556 हजार (रुपये एक करोड़ पाँच लाख छप्पन हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– उक्त विद्यालयों में कराये जाने वाले कार्य की आवश्यकता, लागत, कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के सदुपयोग का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा का होगा साथ ही उक्त कार्य वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 323/XXVII(7)/19–50(07)/2019 दिनांक 20–09–2019 एवं समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार ही कराये जायेंगे।

2– उक्त विद्यालयों में जिला योजना, राज्य योजना, MLALADS, MPLADS, समग्र शिक्षा इत्यादि किसी भी मद से यदि धनराशि पूर्व वित्तीय वर्ष या घोषणा के पश्चात जारी की जा चुकी है, तो उन विद्यालयों को रूपान्तरण की परिभाषा में तो सम्मिलित कर लिया जाये, किन्तु धनराशि केवल अन्य प्रस्तावित विद्यालयों हेतु ही रु0 5.00 लाख प्रति विद्यालय की सीमा तक मरम्मत/रूपान्तरण कार्य हेतु ही धनराशि अवमुक्त की जाये।

3– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 की शर्तों के अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में अनुरक्षण/निर्माण कार्य हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

5— उक्त अनुरक्षण कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

7— विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

8— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

9— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

10— निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

11— कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

12— आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र दिनांक 31–03–2025 तक निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से एकत्रित करते हुए कराये गये कार्य का विवरण फोटो ग्राफ सहित आख्या अप्रैल 2025 के प्रथम सप्ताह में निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

13— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 16116–21 /5क(02)/13/ 2024–25/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून, पिथौरागढ़,
पौड़ी, अल्मोड़ा।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/13/2024–25 दिनांक 29 जनवरी, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/xxiv(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 06 अगस्त 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु0 17311 हजार (रुपये एक करोड़ तेहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 की शर्तों के अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में अनुरक्षण/निर्माण कार्य हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

8— निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

9— कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

10— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2006/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12—प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0—अर्थ—2//16267—73/5क(02)/13/ 2024—25/ दिनांकः— उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6— सूचना प्रकोष्ठ।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/04/2024—25 दिनांक 17 जनवरी, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 319/XXiv(I)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09 जुलाई 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारंभिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 04—राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत मानक मद 52—लघु निर्माण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु0 131433 हजार जनपदों को पूर्व में आवंटित की जा चुकी है, शेष धनराशि के सापेक्ष रु0 683.889 हजार (रुपये छः लाख तेरासी हजार आठ सौ नवासी मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:—

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/XXVii(I)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVii(7)32/2007टी0सी0—I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3— धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य हेतु विभाग/सांसद—विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4— विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष लघु निर्माण सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र, फोटोग्राफ्स सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

6– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत मानक मद 52–लघु निर्माण के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0–अर्थ–2/ 15849-54 /5क(02)/04/ 2024–25/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/11/2024—25 दिनांकः 21 जनवरी, 2025

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन एजूकेशनल पोर्टल योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 622/XXIV(1)–A-2/2025-22/2012 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारंभिक शिक्षा के अधीन एजूकेशनल पोर्टल योजना के संचालन के लिए अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारंभिक शिक्षा, 106—अध्यापक और अन्य सेवायें, 02—एजूकेशन पोर्टल के मानक मद 25—उपयोगिता बिलों का भुगतान में धनराशि रु0 200 हजार मात्र एवं मानक मद 40—मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र में धनराशि रु0 10 हजार मात्र अर्थात् कुल धनराशि रु0 210 हजार (रु0 दो लाख दस हजार मात्र) धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानक मद 25—उपयोगिता बिलों का भुगतान में बजट व्यवस्था ग्लोबल बजटिंग में होने के कारण आवंटित नहीं की जा रही है। उक्त मद में व्यय ग्लोबल बजटिंग के अन्तर्गत किया जायेगा। शेष धनराशि रु0 10 हजार (रु0 दस हजार मात्र) को अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारंभिक शिक्षा, 106—अध्यापक और अन्य सेवायें, 02—एजूकेशन पोर्टल के मानक मद 40—मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र अन्तर्गत संलग्न बजट आंवटन आई0डी0 के द्वारा शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः—

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित 2019, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2— व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— योजना के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये। गलत आहरण किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित पटल प्रभारी लेखा की होगी।

4— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

5— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

6— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

7— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 106—अध्यापक और अन्य सेवायें, 02—एजूकेशन पोर्टल के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/15954-59/5क(02)/11/2024—25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा ....।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/04/2024—25 दिनांक: 30 दिसम्बर, 2024

विषय:— वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 195/XXiv(1)—A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 एवं 547/XXIV(1)—A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 201358/9(150)2019/XXvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVii(7)32/2007टी0सी0—I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

3— अनुरक्षण मद में उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

4— अनुरक्षण मद में धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु विगत पाँच वर्ष में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी।

5— उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

7— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

8— अनुरक्षण कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

9— निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

10– अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

11– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

12– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI /430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 05–विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीय,

(विवेक स्वरूप)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 15231–35/5क(02)/04/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5/ सूचना प्रकोष्ठ

VivekSwarup

(विवेक स्वरूप)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,प्रा0शि0(नाम से),
देहरादून / हरिद्वार / टिहरी गढ़वाल / पौड़ी गढ़वाल / रूद्रप्रयाग / चमोली / नैनीताल / अल्मोड़ा / ऊधम सिंह नगर / चम्पावत् / बागेश्वर / पिथौरागढ़।
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः अर्थ–5(ख–2) / 32(01) / 15754-59 / जी0पी0एफ0 ब्याज / 2024–25 / दिनांक 15 जनवरी,2025

विषयः– अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक विद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से पी0एल0ए0 में जमा की गयी भविष्य निधि की धनराशि पर वर्ष 2023–24 हेतु ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0– 606 / XXIV-A-2/2024-05/2019 बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 31 दिसम्बर,2024 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के शिक्षक / कर्मचारियों के पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि पर वित्तीय वर्ष 2023–24 ब्याज के भुगतान हेतु रू0–98235155 / –(रूपये नौ करोड़ बयासी लाख पैंतीस हजार एक सौ पचपन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृत धनराशि में से अशासकीय सहायता प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के शिक्षक / कर्मचारियों के पी0एफ0 ब्याज वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु आपकी मांग जो जनपदीय कोषागार द्वारा प्रमाणित इतिशेष के आधार पर आगणित है, निम्न विवरणानुसार धनराशि जिला शिक्षा अधिकारी,प्रा0शि0 जो आहरण वितरण अधिकारी हैं, के निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्रम संख्या	जनपद का नाम	जनपदवार वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये)
1	देहरादून	3263820
2	उत्तरकाशी	1191
3	हरिद्वार	3549227
4	टिहरी गढ़वाल	4981260
5	पौड़ी गढ़वाल	8144136
6	रूद्रप्रयाग	8341203
7	चमोली	1444701
8	नैनीताल	27344763
9	अल्मोड़ा	23378604
10	ऊधमसिंह नगर	7181640
11	चम्पावत्	3358350
12	बागेश्वर	4002247
13	पिथौरागढ़	3244013
	कुल योगः–	**98235155**

(रूपये नौ करोड़ बयासी लाख पैंतीस हजार एक सौ पचपन मात्र)

1:— उक्त धनराशि के व्यय को मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त सम्बन्धित जनपद के कोषागार को प्रस्तुत किया जायेगा।

2:— इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 अध्याय –16–ए में निहित अनुदान के नियम लागू रहेंगें।

3:— उक्त आबंटित धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा रही है कि इस धनराशि का नगद आहरण नहीं किया जायेगा। स्वीकृत ब्याज की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में पुस्तक समायोजन के माध्यम से संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में अन्तरित की जायेगी।

4:— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 07 के अधीन लेखाशीर्षक 2049–ब्याज अदायगियां(राजस्व पक्ष) 60– अन्य दायित्वों पर ब्याज 101–जमाओं पर ब्याज (भारित) 03–कर्मचारियों की भविष्य निधियों पर ब्याज (ट्रेज़री पी0एल0ए0 में अवशेष) 00–62–ब्याज/लाभांश के नाम डाला जायेगा।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0)।

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृष्ठा0 सं0: अर्थ–5(ख–2)/32(01)/15754-59/जी0पी0एफ0ब्याज/2024–25 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1:— महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2:— अपर सचिव, बेसिक शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3:— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4:— समस्त वित्त अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5:— सूचना प्रकोष्ठ निदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

0/c

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी।

पत्रांक— अर्थ–2/ /5क(02)/04/2024–25 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 319/xxiv(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09 जुलाई 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत मानक मद 52–लघु निर्माण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि रु0 150000 हजार(रु0 पंद्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु0 103704 हजार (रुपये दस करोड़ सैंतीस लाख चार हजार मात्र) जनपदों को पूर्व में आवंटित की जा चुकी है, शेष धनराशि के सापेक्ष रु0 25940 हजार(रुपये दो करोड़ उनसठ लाख चालीस हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:—

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3— धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षो में प्रस्तावित कार्य हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4— जिन विद्यालयों में गत वर्षो में रैम्प रेलिंग निर्माण हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, उन विद्यालयों को रैम्प रेलिंग निर्माण हेतु पुनः धनराशि आवंटित नही की जायेगी।

5— विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

7— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

8— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

9— निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

10— सम्बन्धित कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

11— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

12— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04—राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत मानक मद 52—लघु निर्माण के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(विवेक स्वरूप)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0—अर्थ—2/ 15236-40 /5क(02)/04/ 2024—25/ दिनांकः— उक्तवत्।
प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5— सूचना पत्रावली

Vivek Swarup

(विवेक स्वरूप)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2 / /5क(02)/04/2024–25 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 319/xxiv(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09 जुलाई 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित **राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना** में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत मानक मद 52–लघु निर्माण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि रु0 150000 हजार(रु0 पंद्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु0 129644 हजार जनपदों को पूर्व में आवंटित की जा चुकी है, शेष धनराशि के सापेक्ष रु0 1789 हजार (रुपये सत्रह लाख नवासी हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष लघु निर्माण सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

6— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

8— निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

9— सम्बन्धित कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

10— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

11— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04—राजकीय प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत मानक मद 52—लघु निर्माण के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(विवेक स्वरूप)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0—अर्थ—2/ 15241-45 /5क(02)/04/ 2024—25/ दिनांकः— उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

S/- सूचना प्रकोष्ठ

(विवेक स्वरूप)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल,
पिथौरागढ, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली।

पत्रांक— अर्थ–2/ 15054-64 /5क(02)/04/2024–25 दिनांक 21 दिसम्बर, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 319/xxiv(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09 जुलाई 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत मानक मद 52–लघु निर्माण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि रु0 150000 हजार(रु0 पंद्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु0 103704 हजार (रुपये दस करोड़ सैंतीस लाख चार हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 की शर्तों के अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2— उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3— धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4— जिन विद्यालयों में गत वर्षों में शौचालय निर्माण हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, उन विद्यालयों को शौचालय निर्माण हेतु पुनः धनराशि आवंटित नही की जायेगी।

5— उक्त कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6— कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

7— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

8— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

9— शौचालय हेतु मॉडल आगणन में दी गयी ड्राइंग के अनुसार ही कार्य करवाना सुनिश्चित करें।

10– निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

11– कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

12– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना होगा।

13– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत मानक मद 52–लघु निर्माण के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 15054-69 /5क(02)/04/ 2024–25/ दिनांक:– उक्तवत्।
प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
बागेश्वर।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 1504०-46 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 21 दिसम्बर, 2024

विषयः– राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, बागेश्वर के चार कक्षा–कक्षों एवं हॉल का निर्माण कार्य की धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरासखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–524/XXIV–A–2/08/2024(E–69743) दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, बागेश्वर के चार कक्षा–कक्षों एवं हॉल का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की कुल लागत रू0 107.00 लाख (रूपये एक करोड़ सात लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त (60%) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचित्यपूर्ण धनराशि रु0 64.20 लाख (रूपये चौसठ लाख बीस हजार मात्र) स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 64.20 लाख (रूपये चौसठ लाख बीस हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 15040-46 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा (बेसिक शिक्षा अनुभाग–02), उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 15047-53 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 21 दिसम्बर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैंसारी, वि0ख0 ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग के भवन पुनर्निर्माण कीर्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–588/XXIV–A–2/20/2024(E–78234) दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैंसारी, वि0ख0 ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य की धनराशि रू0 34.37 लाख (रूपये चौंतीस लाख सैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 34.37 लाख (रूपये चौंतीस लाख सैंतीस हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं **(Computer Generated ID)**

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 15047-53 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा (बेसिक शिक्षा अनुभाग–02), उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग ।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

1— अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।
2— वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/03/2024—25 दिनांकः 30 दिसम्बर, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/XXiV(1)—A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 एवं 547/XXIV(1)—A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं की विभिन्न मानक मदों में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के क्रम में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्षेत्रीय निरीक्षण योजना के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ रु0 1646 हजार (रुपये सोलह लाख छियालीस हजार मात्र) धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVii(7)32/2007टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

3— अनुरक्षण मद में उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

4— अनुरक्षण मद में धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु विगत पाँच वर्ष में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी।

5— जि0शि0 अधि0 कार्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

7— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

8— अनुरक्षण कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

9— निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

10— अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

11— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

12— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI /430/एक/2018/2023—ई. 47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 104—निरीक्षण, 03—क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(विवेक स्वरूप)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0—अर्थ—2/15226-30/5क(02)/03/2024—25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।

S/ सूचना प्रकोष्ठ

Vivek Swarup

(विवेक स्वरूप)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक— अर्थ—2/ 15034-37 /5क(02)/18/2024—25 दिनांक 21 दिसम्बर, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा—1 से कक्षा—8 तक अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग की धनराशि डी०बी०टी०(DBT) के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 319/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी०सी० दिनांक 09—07—2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा—1 से कक्षा—8 तक अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग की धनराशि डी०बी०टी०(DBT) के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु रु० 250000000/- (रु० पच्चीस करोड़ मात्र) धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन के पश्चात शेष धनराशि में से रु० 979632/- (रु० नौ लाख उनासी हजार छः सौ बत्तीस मात्र) धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न (बजट आवंटन आई०डी०) विवरणानुसार आवंटित करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2— आवंटित धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में दिनांक 31—03—2025 तक करवाते हुए भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से संबंधित छात्र—छात्राओं को करवाने का कष्ट करें। भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब/लैप्स होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

3— वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

4— योजनान्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा—1 से कक्षा—5 तक अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को प्रति छात्र कुल रु० 318/— मात्र (जूता मूल्य रु० 153/— एवं बैग मूल्य रु० 165/—) जबकि कक्षा—6 से कक्षा—8 तक अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को प्रति छात्र कुल रु० 462/— मात्र (जूता मूल्य रु० 187/— एवं बैग मूल्य रु० 275/—) का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जायेगा।

5— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई०डी० के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जैनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई०डी० शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15. 02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

7— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 13—कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई०डी०।

भवदीय

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०— अर्थ—2/ 15034-37 /5क(02)/18/2024—25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3— संबंधित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी,
टिहरी, पिथौरागढ़।

पत्रांक– अर्थ–2/ 14854-57 /5क(02)/13/2024–25 दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/xxiv(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 06 अगस्त 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या- 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयो में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु0 28881 हजार (रुपये दो करोड़ अठासी लाख इकासी हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 की शर्तों के अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय-व्यय सबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते मे नही रखा जायेगा।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति मे सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में अनुरक्षण/निर्माण कार्य हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयो को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– उक्त अनुरक्षण कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6– कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

7– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

8– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

9– निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

10– कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

11– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/14854–57/5क(02)/13/ 2024–25/ दिनांकः उक्तवत्।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
चम्पावत।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13992-98 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 26 नवम्बर, 2024

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–156/2024 "राजकीय प्राइमरी पाठशाला फागपुर व जूनियर हाईस्कूल फागपुर का रूपान्तरण स्मार्ट कक्षों का निर्माण एवं आधुनीकरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–536/XXIV–A–2/09/2024(E–76650) बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 18 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–156/2024 "राजकीय प्राइमरी पाठशाला फागपुर व जूनियर हाईस्कूल फागपुर का रूपान्तरण समार्ट कक्षों का निर्माण एवं आधुनीकरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की कुल लागत रू0 76.40 लाख (रूपये छिहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त (60%) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचितयपूर्ण धनराशि रु0 45.84 लाख (रूपये पैंतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 45.84 लाख (रूपये पैंतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 13992-98 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चम्पावत।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/13986-89/5क(02)/02/2024—25 दिनांकः 26 नवम्बर, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 195/XXiv(I)-A-2/2024-14/ 2020टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 एवं 547/XXIV(I)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान स0—11 के राजस्व पक्ष में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 855 हजार (रूपये आठ लाख पचपन हजार मात्र) को अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारंभिक शिक्षा, 001—निदेशन तथा प्रशासन, 03—निदेशालय अधिष्ठान के अन्तर्गत संलग्न बजट आंवटन आई0डी0 के द्वारा शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:—

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXvii(I)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अर्थ अनुभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा।

4— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXvii(7)32/2007टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वितीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय। बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 001—निदेशन तथा प्रशासन, 03—निदेशालय अधिष्ठान के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/13986-89/5क(02)/02/2024—25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/14850-53/5क(02)/12/2024–25 दिनांकः 17 दिसम्बर, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(1)(सी0) के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के फीस प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 572/XXIV-A-2/2024-05/2013T.C(E-49698) दिनांक 05.12.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(1)(सी0) के अन्तर्गत अध्ययनरत् एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के फीस प्रतिपूर्ति व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 में रु0 1287000 हजार, अनुदान संख्या–30 में रु0 297000 हजार एवं अनुदान संख्या 31 में रु0 66000 हजार के सापेक्ष क्रमशः अनुदान संख्या 11 में रु0 671979.920 हजार, अनुदान संख्या 30 में रु0 155072.290 हजार एवं अनुदान संख्या 31 में रु0 34460.510 हजार इस प्रकार कुल रु0 861512. 720 हजार (रु0 छियासी करोड़ पंद्रह लाख बारह हजार सात सौ बीस मात्र) धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि को अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा के अधीन सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत संलग्न बजट आंवटन आई0डी0 के द्वारा शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVii(I)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि लाभार्थियों के व्यापक सत्यापन के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जाये।

3– व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– Eligible छात्रों को ही इस योजना से लाभान्वित करने हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए प्रतिवर्ष एक Certain Percentage छात्रों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में भौतिक सत्यापन (Random verification) किया जायेगा तथा इसके परिणाम से प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।

5– प्री–प्राइमरी के बारे में नीतिगत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जायें तथा भारत सरकार से जो भी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है, उसको स्टेट ट्रेजरी में जमा करते हुए पूर्व में समायोजित धनराशि की पुष्टि भी सुनिश्चित की जाये।

6– धनराशि का नगद आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। धनराशि का एकमुश्त आहरण ई–कोष के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– विभाग द्वारा 03 माह के भीतर भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।

8– उपरोक्त के अतिरिक्त अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग प्राविधानित उद्देश्यों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु ही किया जायेगा। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बच्चों की प्रतिपूर्ति दिनांक 31–03–2025 से पूर्व कर ली जाये।

9– लाभार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में भुगतान सम्बन्धित अधिकारी स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

10– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 (राजस्व) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0 एवं शासनादेश।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 14850-53 /5क(02)/12/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/12547-52/5क(02)/06/2024—25 दिनांकः 22 अक्टूबर, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0पोषण) के अन्तर्गत पोषक मानकों के सुधार के संबंध में मैटेरियल कॉस्ट हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 509/XXIV-A-2/24—25/2007/Vol-I(E-73720) दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0पोषण)" योजना के अन्तर्गत पोषक मानकों के सुधार के संबंध में मैटेरियल कॉस्ट हेतु रू0 7,78,56,742 (रूपये सात करोड़ अठहत्तर लाख छप्पन हजार सात सौ बयालीस मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 7,78,56,742 (रूपये सात करोड़ अठहत्तर लाख छप्पन हजार सात सौ बयालीस मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई—भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जाने का प्रस्ताव है।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

3— वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगा।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यकम, 02—मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42—अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/12547-52/5क(02)/06/2024—25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/13811-15/5क(02)/11/2024—25 दिनांकः 21 नवम्बर, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन एजूकेशनल पोर्टल योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 546/XXIV(1)-A-2/2024-22/2012(E-51953) दिनांक 18.11.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारंभिक शिक्षा के अधीन एजुकेशनल पोर्टल योजना के संचालन के लिए रु0 870 हजार(रु0 आठ लाख सत्तर हजार मात्र) धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत धनराशि को अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारंभिक शिक्षा, 106—अध्यापक और अन्य सेवायें, 02—एजूकेशन पोर्टल के मानक मद 27—व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान अन्तर्गत संलग्न बजट आंवटन आई0डी0 के द्वारा शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:—

उक्त मानक मद में आवंटित धनराशि रु0 870 हजार(रु0 आठ लाख सत्तर हजार मात्र) से संबधित कम्प्यूटर प्रोग्रामर के मानदेय का भुगतान मासिक आधार पर करना सुनिश्चित करें।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित 2019, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2— व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— योजना के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये। संबंधित संस्था से कम्प्यूटर प्रोग्रामर का मासिक व्यय का देयक प्राप्त करते हुए प्रति माह का भुगतान किया जाये। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से देयताओं के सम्बन्ध में अग्रिम भुगतान न किया जाये। अवमुक्त धनराशि से केवल वित्तीय वर्ष 2024—25 की ही देयता का भुगतान नियमानुसार करना सुनिश्चित करें। गलत आहरण किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित पटल प्रभारी लेखा की होगी।

4— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

5— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

5— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 106–अध्यापक और अन्य सेवायें, 02–एजूकेशन पोर्टल के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
संलग्न– अलाटमेंट आई०डी०।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०– अर्थ–2/ 13811–15 /5क(02)/11/2024–25/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ–2/ 12955–59 /5क(02)/06/2024–25 दिनांकः 29 अक्टूबर, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024–25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 520/XXIV-A-2/2024–25/2007 टी0सी0 दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना पी0एम0 पोषण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 में रू0 202186 हजार (रूपये बीस करोड़ इक्कीस लाख छियासी हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 में रू0 20845 हजार (रूपये दो करोड़ आठ लाख पैंतालीस हजार मात्र), इस प्रकार कुल धनराशि रू0 223031 हजार (रूपये बाईस करोड़ तीस लाख इकतीस हजार मात्र) को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानवार रू0 223031 हजार (रूपये बाईस करोड़ तीस लाख इकतीस हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई–भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— केन्द्र पोषित योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को समयान्तर्गत आहरित कर संबंधित योजना के एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित करने हेतु आहरण–वितरण अधिकारी तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें, किसी भी दशा में उक्त धनराशि के आहरण में विलम्ब की स्थिति में आहरण–वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्रमशः/2—

पृ0सं0– अर्थ–2/12955–59 /5क(02)/06/2024–25 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल, चमोली, देहरादून,
ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़।

पत्रांक– अर्थ–2/ 13662-67 /5क(02)/13/2024–25 दिनांक 19 नवम्बर, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/xxiv(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 06 अगस्त 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु0 27865 हजार (रुपये दो करोड़ अठहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 की शर्तों के अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में अनुरक्षण/निर्माण कार्य हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5— उक्त अनुरक्षण कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6— कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

7— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

8— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

9— निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

10— कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

11— विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

12— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर **(IFMS)** के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12—प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0—अर्थ—2/ 13662-67 /5क(02)/13/ 2024—25/ दिनांकः— उक्तवत्।
प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा ....

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/04/2024–25 दिनांक: 21 अक्टूबर, 2024

विषय:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 195/XXIV(1)–A-2/2024-14/2020टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु साफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाय।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

4– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

5– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 05–विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न: बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 12500 – 03 /5क(02)/04/2024–25/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/12500-03/5क(02)/04/2024–25 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024

1– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में कार्यरत कार्मिकों के यात्रा भत्ता–04 मद एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद मे आवंटित धनराशि का विवरण (22020110104)

	जनपद अल्मोड़ा					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि (रु0 में)	
					04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	राजेन्द्र पाठक, स0अ0	रा0प्रा0वि0 दुगोड़ा	ताड़ीखेत	अल्मोड़ा	0	20298
					0	20298
	जनपद चम्पावत					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि (रु0 में)	
					04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	श्री कविन्द्र सिंह तड़ागी, स0अ0	रा0प्रा0वि0 ललुवापानी		चम्पावत	0	30072
2.	श्री रमेश चन्द, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 रियासी		चम्पावत	0	54559
					0	84631
	जनपद नैनीताल					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि (रु0 में)	
					04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	श्रीमती अनीता जोशी, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 रूसी	भीमताल	नैनीताल	0	81299
2.	श्री आनन्द बल्लभ, स0अ0	रा0प्रा0वि0 मल्ला कानिया	रामनगर	नैनीताल	8003	0
3.	श्रीमती रश्मि त्रिपाठी, स0अ0	रा0प्रा0वि0 डुंगरपुर हल्दूचौड़	हल्द्वानी	नैनीताल	10554	0
4.	श्रीमती आरती साहू, प्र0अ0	रा0आ0प्रा0वि0 खनस्यूं	ओखलकाण्डा	नैनीताल	12444	0
5.	श्री त्रिलोचन भट्ट, स0अ0	रा0आ0प्रा0वि0 हरिनगर	ओखलकाण्डा	नैनीताल	11056	0
					42057	81299
	जनपद टिहरी गढ़वाल					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि (रु0 में)	
					04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	श्री ओमप्रकाश, स0अ0,	रा0उ0प्रा0वि0 किरोड	देवप्रयाग	टिहरी गढ़वाल	0	109601
2.	श्रीमती रेखा सिंह, स0अ0	रा0प्रा0वि0 रोलूर	थौलधार	टिहरी गढ़वाल	16719	28877
3.	श्रीमती संजीवनी मिश्रा,से0नि0 स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कुट्ठा	चम्बा	टिहरी गढ़वाल	10292	0
4.	श्री इन्द्र दत्त सेमल्टी, से0नि0 स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 भोटणाधार	चम्बा	टिहरी गढ़वाल	10573	0
					37584	138478
	जनपद ऊधम सिंह नगर					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि (रु0 में)	
					04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	श्रीमती राजकुमारी चौधरी, स0अ0	रा0प्रा0वि0 कुण्डेश्वरी	काशीपुर	ऊधमसिंह नगर	0	2933632
2.	श्रीमती सुभद्रा सिंह, प्र0अ0 (से0नि0)	रा0प्रा0वि0 गौरीखेडा	सितारगंज	ऊधमसिंह नगर	12941	0
					12941	2933632
	जनपद देहरादून					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि (रु0 में)	
					04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	श्रीमती दुर्गा थपलियाल, से0नि0, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 भटकमाजरी	विकासनगर	देहरादून	0	111110
					0	111110
	जनपद उत्तरकाशी					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि (रु0 में)	
					04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, स0अ0	रा0प्रा0वि0 डुण्डा	डुण्डा	उत्तरकाशी	0	73270
2.	स्व0 श्रीमती अनीता चौहान, स0अ0	रा0प्रा0वि0 रतूड़ी सेरा	डुण्डा	उत्तरकाशी	0	39813
3.	श्री खुशपाल सिंह, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 दुंग	डुण्डा	उत्तरकाशी	0	7946
4.	श्रीमती रजनी नौटियाल, स0अ0	रा0प्रा0वि0 हरेती	डुण्डा	उत्तरकाशी	0	77559
					0	198588

वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/ 2500-03 /5क(02)/04/2024–25 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024

1– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना 22020110405

	जनपद टिहरी गढ़वाल				
क0सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि
					04–यात्रा भत्ता
1.	श्री दिनेश चन्द्र, क0स0	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय कीर्तिनगर	कीर्तिनगर	टिहरी गढ़वाल	1367
2.	श्री दिनेश चन्द्र रमोला, मु0प्र0अधि0	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय थौलधार	थौलधार	टिहरी गढ़वाल	12790
					14157

वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

<u>बजट आवंटन</u>

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/13/2024—25 दिनांक 19 नवम्बर, 2024

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2023—24 में प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2022 के क्रियान्वन किये जाने के लिए जनपद चम्पावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में रूपांतरण कार्य कराये जाने हेतु मानक मद 51—अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/xxiv(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 06 अगस्त 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पूर्व में उपर्युक्त विषयक योजना के अन्तर्गत जिला चम्पावत के 51 विद्यालयों को धनराशि आवंटित की गई थी जिसमें से 18 विद्यालयों ने ही धनराशि आहरित की थी, शेष विद्यालयों द्वारा धनराशि समर्पित कर दी गई। चालू वित्तीय वर्ष में शेष 33 विद्यालयों में से 2 विद्यालयों को जिला योजना तथा आपदा योजना के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की जा चुकी है, शेष 31 विद्यालयों हेतु पुनः रु0 10360 हजार (रुपये एक करोड़ तीन लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि के लिए अनुरोध किया गया है। शासन के पत्र संख्या 70/xxiv-A-2/2024—09/2023 दिनांक 26.02.2024 के द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0—281/2022 के अन्तर्गत अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारंभिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12—प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51—अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि रु0 200000 हजार (रु0 बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु0 10360 हजार (रुपये दस करोड़ तीन लाख साठ हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तो के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:—

1— उक्त विद्यालयों में कराये जाने वाले कार्य की आवश्यकता, लागत, कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के सदुपयोग का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा का होगा साथ ही उक्त कार्य वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 323/XXVII(7)/19—50(07)/2019 दिनांक 20—09—2019 एवं समय—समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार ही कराये जायेंगे।

2— उक्त विद्यालयों में जिला योजना, राज्य योजना, MLALADS, MPLADS, समग्र शिक्षा इत्यादि किसी भी मद से यदि धनराशि पूर्व वित्तीय वर्ष या घोषणा के पश्चात जारी की जा चुकी है, तो उन विद्यालयों को

रूपान्तरण की परिभाषा में तो सम्मिलित कर लिया जाये, किन्तु धनराशि केवल अन्य प्रस्तावित विद्यालयों हेतु ही रू0 5.00 लाख प्रति विद्यालय की सीमा तक मरम्मत/रूपान्तरण कार्य हेतु ही धनराशि अवमुक्त की जाये।

3– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 की शर्तों के अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में अनुरक्षण/निर्माण कार्य हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

5– उक्त अनुरक्षण कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

7– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

9– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

10– निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

11– कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

12– आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र दिनांक 31–03–2025 तक निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से एकत्रित करते हुए कराये गये कार्य का विवरण फोटो ग्राफ सहित आख्या अप्रैल 2025 के प्रथम सप्ताह में निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

13— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर **(IFMS)** के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12—प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0—अर्थ—2/ 13668-73 /5क(02)/13/ 2024—25/ दिनांक:— उक्तवत्।
प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
चम्पावत।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13612-18 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 18 नवम्बर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–454/XXIV–A–2/20/2024(E–78234) दिनांक 04 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद चम्पावत के निम्नानुसार भवन निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 254.50 लाख (रूपये दो करोड़ चौवन लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि 254.50 लाख (रूपये दो करोड़ चौवन लाख पचास हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	चम्पावत	पाटी	रा0क0उ0प्रा0वि0 देवीधुरा	पुनर्निर्माण	38.50
2		पाटी	रा0प्रा0वि0 अनर्पा	पुनर्निर्माण	35.50
3		पाटी	रा0प्रा0वि0 कार्कीछाना	पुनर्निर्माण	35.50
4		पाटी	रा0प्रा0वि0 चौड़ा	पुनर्निर्माण	35.50
5		पाटी	रा0प्रा0वि0 मौलना जाख	पुनर्निर्माण	35.50
6		पाटी	रा0उ0प्रा0वि0 पारस	पुनर्निर्माण	38.50
7		पाटी	रा0प्रा0वि0 देवीधुरा	पुनर्निर्माण	35.50
योग					254.50

(रूपये दो करोड़ चौवन लाख पचास हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चम्पावत।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

<u>बजट आवंटन</u>

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत।

पत्रांक— अर्थ—2/ 11606-09 /5क(02)/04/2024—25 दिनांकः 27 सितम्बर, 2024
विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या अर्थ—2/10053—56/5क(02)/04/2024—25 दिनांक 27—08—2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के उपचार पर हुए व्यय की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान किये जाने हेतु रू0 173459 (रूपये एक लाख तिहेत्तर चार सौ उनसठ मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए आवंटित की गयी है, के साथ संलग्न सूची में अंकित क्रमाक 01 से 06 तक अंकित अध्यापकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की धनराशि का योग रू0 252234 (रूपये दो लाख बावन हजार दो सौ चौंतीस मात्र) है, के कम में शेष धनराशि रू0 78775 (रूपये अठहत्तर हजार सात सौ पिच्चहेत्तर मात्र) को योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 195/XXiv(1)—A-2/2024-14/2020टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 के द्वारा उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निदेशालय स्तर पर शेष धनराशि में से स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को पूर्व में संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/उप शिक्षा अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु साफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाय।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVii(7)32/2007टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वितीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। <u>बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय।</u> आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

2— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आगणाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98632/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0

भवदीय,
(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन— अर्थ 2/ 11606-09 /5क(02)/04/2024—25/दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ________________ ।

पत्रांक— अर्थ–2/ 11803-08 /5क(02)/15/2024–25 दिनांकः 01 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मॉडल स्कूल योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 319/xxiv(1)-A-2/2024–14/2020टी0सी0 दिनांक 09.07.2024 एवं शासनादेश संख्या 374/xxiv(1)-A-2/2024–14/2020टी0सी0 दिनांक 06.08.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि में से विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रदेश स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1 वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

2— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जा रहा है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 08–विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— बजट आवंटन आई0डी0

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ–2/ 11803-08 /5क(02)/15/2024–25/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
देहरादून।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13605 – 11 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 18 नवम्बर, 2024

विषयः– <u>राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–454/XXIV–A–2/20/2024(E–78234) दिनांक 04 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद देहरादून के निम्नानुसार पुनर्निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 191.16 लाख (रूपये एक करोड़ इकानब्बे लाख सोलह हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 191.16 लाख (रूपये एक करोड़ इकानब्बे लाख सोलह हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	देहरादून	सहसपुर	रा0प्रा0वि0 कोटडासन्तोर	पुनर्निर्माण	32.73
2		सहसपुर	रा0प्रा0वि0 सुद्धोवाला	पुनर्निर्माण	32.70
3		सहसपुर	रा0प्रा0वि0 बड़ोवाला भाउवाला	पुनर्निर्माण	32.29
4		सहसपुर	रा0प्रा0वि0 क्यारकली भट्टा	पुनर्निर्माण	34.04
5		सहसपुर	रा0प्रा0वि0 रैडापुर	पुनर्निर्माण	32.39
6		सहसपुर	रा0प्रा0वि0 गोपीवाला	पुनर्निर्माण	27.01
			योग		191.16

(रूपये एक करोड़ इकानब्बे लाख सोलह हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
पौड़ी।

पत्रांक–नियोजन(04)/13598-13604 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 18 नवम्बर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/वृहद मरम्मत कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–454/XXIV–A–2/20/2024(E–78234) दिनांक 04 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद पौड़ी के निम्नानुसार भवन निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 86.51 लाख (रूपये छियासी लाख इक्याबन हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 86.51 लाख (रूपये छियासी लाख इक्याबन हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	पौड़ी	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 सौंटी	03 कक्षों का निर्माण	26.50
2		थलीसैंण	रा0उ0प्रा0वि0 गिठाली	वृहद मरम्मत	21.63
3		थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 चमंगाव	पुनर्निर्माण	38.38
			योग		86.51
					(रूपये छियासी लाख इक्याबन हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. ज़िलाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
टिहरी।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13591-97 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 18 नवम्बर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–454/XXIV–A–2/20/2024(E–78234) दिनांक 04 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद टिहरी के निम्नानुसार भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 31.94 लाख (रूपये इकतीस लाख चौरानबे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 31.94 लाख (रूपये इकतीस लाख चौरानबे हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	टिहरी	भिलंगना	रा0प्रा0वि0 सिलुडी बासर	पुनर्निर्माण	31.94
			योग		31.94

(रूपये इकतीस लाख चौरानबे हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
पिथौरागढ़।

पत्रांक–नियोजन(04)/13584-90 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 18 नवम्बर, 2024

विषयः– **राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–454/XXIV–A–2/20/2024(E–78234) दिनांक 04 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के निम्नानुसार पुनर्निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य रू0 49.93 लाख (रूपये उनपचास लाख तिरानब्बे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 49.93 लाख (रूपये उनपचास लाख तिरानब्बे हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा0आ0पू0मा0वि0 भटगांव	भवन मरम्मत	13.71
2		गंगोलीहाट	रा0प्रा0वि0 खतेड़ा	भवन मरम्मत	16.14
3		धारचूला	रा0प्रा0वि0 तोली बरम	भवन मरम्मत	10.04
4		धारचूला	रा0प्रा0वि0 धामीगांव	वृहद मरम्मत	10.04
			योग		49.93

(रूपये उनपचास लाख तिरानब्बे हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा–03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ–2/ /5क(02)/06/2024–25 दिनांक: 08 नवम्बर, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 518/XXIV-A-2/24–25/2007/Vol-1(E-51835) दिनांक 05 नवम्बर, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में "मुख्यमंत्री अमृत आंचल" योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 55044.320 हजार (रुपये पाँच करोड़ पचास लाख चवालीस हजार तीन सौ बीस मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 55044.320 हजार (रुपये पाँच करोड़ पचास लाख चवालीस हजार तीन सौ बीस मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई–भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

3— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202- सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02–मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्रमशः पृष्ठ 2

पृ०सं०– अर्थ–2/13370-74 /5क(02)/06/2024–25 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

समस्त वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पत्रांक– अर्थ–2/ 11515–20 /5क(02)/13/2024–25 दिनांक 26 सितम्बर 2024

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/xxiv(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 06 अगस्त 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृत धनराशि में से प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संबंधित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं हेतु फर्नीचर क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

1– क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम(बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन करते हुए Gem/E-Tender के माध्यम से छात्र–छात्राओं के लिए फर्नीचर का क्रय किया जाएगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 की शर्तों के अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। वित्त विभाग के शासनादेशानुसार शासन/विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खातों में नही रखी जाएगी। आवंटित धनराशि के सापेक्ष सामग्री क्रय किये जाने के पश्चात् नियमानुसार भुगतान संबंधित फर्म को कोषागार के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा, ऐसा किया जाने पर अथवा निदेशालय के संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति प्रदान कर दी जायेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

3– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम

क्रमशः..2/–

से ऑनलाइन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलॉटमेंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साइन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 11515-20 /5क(02)/13/ 2024–25/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1– अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।
2– वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक– अर्थ–2/13365-69 /5क(02)/03/2024–25 दिनांकः 08 नवम्बर, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/XXIV(1)–A-2/2024-14/2020टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के कम में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्षेत्रीय निरीक्षण योजना के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ रु0 931 हजार(रुपये नौ लाख इकतीस हजार मात्र) धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय। संबंधित मद में बजट प्राप्त न होने पर किसी भी दशा में बाजार से सामग्री क्रय न की जाय।

3– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात् व्यय विवरण (बी0एम0–04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

4– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

5– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI /430/एक/2018/2023–ई. 47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/13365-69/5क(02)/03/2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

<u>बजट आवंटन</u>

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा ____________

पत्रांक— अर्थ—2/ 11388 - 91 /5क(02)/04/2024—25 दिनांकः 25 सितम्बर, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 105/xxiv(1)—A-2/2024-14/2020टी0सी0 दिनांक 08.04.
2024 क द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी
है। स्वीकृत धनराशि में से शिक्षा मित्रों का मानदेय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शासनादेश में
उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने
की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/उप शिक्षा अधिकारियों को
व्यय किये जाने हेतु साफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से आवश्यकतानुसार तत्काल आवंटित कर दिया जाय।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865)
की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित
किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या
103/XXVII(7)32/2007टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल). वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का
प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022). वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट
मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्वीकृत धनराशि का <u>व्यय विवरण विकासखण्डवार प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप
से निदेशालय को माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय।</u>

3— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में
उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से
आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/
2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि
आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना
सुनिश्चित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के
अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें
डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0— अर्थ—2/ 11388- 91 /5क(02)/04/2024—25/दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक– अर्थ–2/ 11383-87 /5क(02)/03/2024–25 दिनांकः 25 सितम्बर, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/XXiv(I)–A-2/2024-14/2020टी0सी0 दिनांक 08.04.
2024 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की
स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के क्रम में [illegible] धनराशि के सापेक्ष
केन्द्रीय निरीक्षण योजना के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि संलग्न
बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए
व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXvii(I)/2024/दिनांक 22.03.
2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के
व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश
संख्या 103/XXvii(7)32/2007टी0सी0–I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय
अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी
नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट की प्रत्याशा में
अनाधिकृत व्यय न किया जाय। संबंधित मद में बजट प्राप्त न होने पर किसी भी दशा में बाजार से सामग्री क्रय न की जाय।

3– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0–04) निदेशालय को उपलब्ध
कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

4– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का
अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में
की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

5– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012
में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन
जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI /430/एक/2018/2023–ई.
47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु
उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व
के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत
मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 11383-87/5क(02)/03/2024–25 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक– अर्थ–2 / /5क(02)/15/2024–25 दिनांक: 5 नवम्बर, 2024

विषय:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/xxiv(1)-A-2/2024–14/2020टी0सी0 दिनांक 06.08.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि में से विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल योजना के अन्तर्गत धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अधीन 08–विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल के अन्तर्गत 51–अनुरक्षण मद के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि रु0 2000 हजार (रु0 बीस लाख मात्र) के सापेक्ष रु0 1959 हजार(रु0 उन्नीस लाख उनसठ हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आंवटन आई0डी0 के द्वारा आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

1 वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वितीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

2– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जा रहा है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 08–विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– बजट आवंटन आई0डी0

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 13175–80/5क(02)/15/2024–25/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांकः– अर्थ–2 / /5क(02)/06/2024–25 दिनांकः 5 नवम्बर, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय, वर्दी एवं प्रोत्साहन राशि हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 519/XXIV-A-2/2024–25/2007/Vol-I(E-73720) एवं शासनादेश संख्या 521/XXIV-A-2/24–25/2007/Vol-I(E-31850) दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 24938 भोजनमाताओं के मानदेय भुगतान हेतु रु0 14,96,28,000 (रुपये चौदह करोड़ छियानवे लाख अट्ठाइस हजार मात्र) एवं भोजनमाता वर्दी एवं भोजनमाता प्रोत्साहन राशि हेतु क्रमशः रु0 2,14,00,000 एवं रु0 2,49,38,000, कुल रु0 4,63,38,000 (रु0 चार करोड़ तिरेसठ लाख अड़तीस हजार मात्र), इस प्रकार कुल रु0 19,59,66,000(रु0 उन्नीस करोड़ उनसठ लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 19,59,66,000(रु0 उन्नीस करोड़ उनसठ लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई–भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जाने का प्रस्ताव है।

2– आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/XXvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वितीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

3– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जैनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018 /2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगा।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02—मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42—अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/13170-74/5क(02)/06/2024—25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...

पत्रांक– अर्थ–2/ — /5क(02)/05/2024–25 दिनांकः 17 सितम्बर, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/XXiv(1)–A-2/2024-14/2020टी0सी0 दिनांक 08.04.2024, पत्रांक 194/XXIV(1)-A-2/2024–14/2020टी0सी0 दिनांक 02.05.2024 एवं पत्रांक 395/XXIV(1)-A-2/2024–14/2020टी0सी0 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से उपलब्ध बजट के सापेक्ष अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल एवं माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2024–25 में मासिक वेतनादि का भुगतान किये जाने हेतु धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2024–25 में संबंधित विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन का प्रति माह भुगतान करना सुनिश्चित करें। गत वित्तीय वर्षो के वेतनादि की अवशेष धनराशि हेतु पृथक से कार्मिक–वार बजट मांग पत्र निदेशालय को मय पत्रजात सहित उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही बजट आवंटन किया जाना संभव होगा। आहरण वितरण अधिकारी स्तर पर बजट होने के बावजूद भी यदि कार्मिकों को मासिक वेतन का प्रतिमाह भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी की होगी।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3– वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

4– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय।

5– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई. 47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/11114-17 /5क(02)/05/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
देहरादून। 13017-23

पत्रांक–नियोजन(04)/ /बजट(139)/2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन वृहद मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–491/XXIV–A–2/15/2024(E–74306) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद देहरादून के निम्नानुसार वृहद मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य की धनराशि रू0 **96.47 लाख** (रूपये छियानब्बे लाख सैंतालीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **96.47 लाख** (रूपये छियानब्बे लाख सैंतालीस हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	देहरादून	रायपुर	रा0प्रा0वि0 वाणी विहार	वृहद मरम्मत	11.22
2		रायपुर	रा0प्रा0वि0 भोपालपानी	पुनर्निर्माण	42.58
3		रायपुर	रा0प्रा0वि0 सोडा सरोली	पुनर्निर्माण	42.67
योग					96.47

(रूपये छियानब्बे लाख सैंतालीस हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं **(Computer Generated ID)**

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
पौड़ी।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13005 - 11 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण/मरम्मत कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–491/XXIV–A–2/15/2024(E–74306) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद पौड़ी के निम्नानुसार भवन निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य की धनराशि रू0 41.65 लाख (रूपये इकचालीस लाख पैंसठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 41.65 लाख (रूपये इकचालीस लाख पैंसठ हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	पौड़ी	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 बांकुडा	मरम्मत कार्य	11.76
2		जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 सारी	भवन निर्माण	29.89
			योग		41.65

(रूपये इकचालीस लाख पैंसठ हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024–25 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
टिहरी।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 12999-13005 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–491/XXIV–A–2/15/2024(E–74306) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद टिहरी के निम्नानुसार भवन पुनर्निर्माण/निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य की धनराशि रू0 62.36 लाख (रूपये बासठ लाख छत्तीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 62.36 लाख (रूपये बासठ लाख छत्तीस हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	टिहरी	देवप्रयाग	रा0प्रा0वि0 पाटा	भवन पुनर्निर्माण	28.95
2		प्रतापनगर	रा0प्रा0वि0 रमोलागांव	भवन निर्माण	33.41
योग					62.36

(रूपये बासठ लाख छत्तीस हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
पिथौरागढ़।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 12992-98 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भल्या, बिण, पिथौरागढ़ हेतु भवन पुनर्निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–491/XXIV–A–2/15/2024(E–74306) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भल्या, बिण में भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 35.00 लाख (रू0 पैंतीस लाख मात्र) के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत कुल धनराशि रू0 35.00 लाख (रू0 पैंतीस लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 35.00 लाख (रू0 पैंतीस लाख मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं **(Computer Generated ID)**

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
बागेश्वर।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 12985-91 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषयः– <u>राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बाजीधार में भवन पनुर्निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–491/XXIV–A–2/15/2024(E–74306) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद बागेश्वर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बाजीधार, कपकोट में पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 30.90 लाख (रू0 तीस लाख नब्बे हजार मात्र) के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत कुल धनराशि रू0 30.90 लाख (रू0 तीस लाख नब्बे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 30.90 लाख (रू0 तीस लाख नब्बे हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं **(Computer Generated ID)**

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
पिथौरागढ़।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 12978-84 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चनकाना में वृहद मरम्मत कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–490/XXIV–A–2/2023–35/2016(E–46388) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद पिथौरागढ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चनकाना, बेरीनाग में कुल लागत रू0 559000.00 (रू0 पांच लाख उनसठ हजार मात्र) के चालू निर्माण कार्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत कार्य हेतु अवशेष कुल धनराशि रू0 335400.00 (रू0 तीन लाख पैंतीस हजार चार सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 335400.00 (रू0 तीन लाख पैंतीस हजार चार सौ मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित। कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

1— अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।
2— वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक— अर्थ—2/10057-61/5क(02)/03/2024—25 दिनांक: 27 अगस्त, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/XXiv(1)—A-2/2024-14/2020टी0सी0 दिनांक 08.04 2024 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के कम में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्षेत्रीय निरीक्षण योजना के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVii(1)/2024/दिनांक 22.03. 2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVii(7)32/2007टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वितीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय। संबंधित मद में बजट प्राप्त न होने पर किसी भी दशा में बाजार से सामग्री क्रय न की जाय।

3— उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0—04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

4— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

5— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI /430/एक/2018/2023—ई. 47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 104—निरीक्षण, 03—क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0—अर्थ—2/10057-61/5क(02)/03/2024—25 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत, नैनीताल।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/13/2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/xxiv(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 06 अगस्त 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि रु0 20000 हजार (रु0 दो करोड़ मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

1– क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम(बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन करते हुए Gem/E-Tender के माध्यम से किया जाएगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 की शर्तों के अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। वित्त विभाग के शासनादेशानुसार शासन/विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खातों में नही रखी जाएगी। आवंटित धनराशि के सापेक्ष सामग्री क्रय किये जाने के पश्चात् नियमानुसार भुगतान संबंधित फर्म को कोषागार के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा, ऐसा किया जाने पर अथवा निदेशालय के संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति प्रदान कर दी जायेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

3– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलॉटमेंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साइन करते हुए प्रेषित

क्रमशः..2/–

की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12—प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0—अर्थ—2/ 12970-75 /5क(02)/13/ 2024—25/ दिनांकः— उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
पौड़ी।

पत्रांक– नियोजन(04)/ 3107-13 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 24 जुलाई, 2024

विषयः– **राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/कक्षा–कक्ष निर्माण कार्यों की स्वीकृति/ धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–336/XXIV-A-2/2024-08/2024(E-69743) बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 12 जुलाई, 2024 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/कक्षा–कक्ष निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार **कुल धनराशि रू0 12844000.00 (रु0 एक करोड़ अट्ठाईस लाख चवालीस हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 12844000.00 (रु0 एक करोड़ अट्ठाईस लाख चवालीस हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्र. सं.	जनपद	वि0ख0	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (लाख में)
1	पौड़ी	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 कनाकोट	02 कक्षा–कक्ष एवं प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण	**29.73**
2		थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 कुचोली	02 कक्षा–कक्ष एवं प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण	**29.75**
3		थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 मैखोली	भवन पुनर्निर्माण	**34.32**
4		थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 भरनो	भवन पुनर्निर्माण	**34.64**
				योग	**128.44**

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 / नियोजन(04) / /बजट (139) / 2024–25 उक्तदिनांकित्।
प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा ____________

पत्रांक— अर्थ—2/10053-56 /5क(02)/04/2024—25 दिनांक: 27 अगस्त, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/XXiv(1)—A-2/2024-14/2020टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/उप शिक्षा अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु साफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाय।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

2— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीय,

(हिमैन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0— अर्थ—2/10053-56 /5क(02)/04/2024—25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।

(हिमैन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

पत्रांक— अर्थ–2/ 8025-30 /5क(02)/05/2024–25 दिनांक: 23 जुलाई, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024–25 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के अवशेष वेतन के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या बजट मांग/813–14/2024–25 दिनांक 02.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रिट याचिका संख्या 106/एस0एस0/2022 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 14.01.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या अशा0–06/1879–83/2023–24 दिनांक 05, जुलाई 2023 के अनुपालन में जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय मिटारकोट, गरुड़, बागेश्वर में प्रधानाध्यापक श्री गणेश दत्त एवं सहायक अध्यापक श्री भुवन चन्द्र सिंह को वित्त विहीन स्थाई अनुमोदन की तिथि से 10 वर्ष की सेवा को जोड़ते हुए चयन वेतनमान का लाभ दिये जाने की तिथि से वेतन दिये जाने की स्वीकृति के क्रम में वेतन अवशेष के रूप में कुल रू0 13,72,637 (रूपये तेरह लाख बहत्तर हजार छः सौ सैंतीस मात्र) का भुगतान किये जाने हेतु बजट मांग समर्थित पत्रजात सहित उपलब्ध कराया गया है।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 194/XXIV(1)-A-2/2024–14/2020टी0सी0 दिनांक 02.05.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से उपलब्ध बजट के सापेक्ष रिट याचिका संख्या 106/एस0एस0/2022 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 14.01.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या अशा0–06/1879–83/2023–24 दिनांक 05, जुलाई 2023 के अनुपालन में जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय मिटारकोट, गरुड़, बागेश्वर में प्रधानाध्यापक श्री गणेश दत्त एवं सहायक अध्यापक श्री भुवन चन्द्र सिंह को वित्त विहीन स्थाई अनुमोदन की तिथि से 10 वर्ष की सेवा को जोड़ते हुए चयन वेतनमान का लाभ दिये जाने की देय तिथि की स्वीकृति के क्रम में वेतन अवशेष के रूप में कुल रू0 13,72,637 (रूपये तेरह लाख बहत्तर हजार छः सौ सैंतीस मात्र) की धनराशि उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— सम्बन्धित कार्मिकों के अवशेष वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3— वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

4— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

5— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

क्रमश/2

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0 /नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02– सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0 /नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ /5क(02)/05/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
4– मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
5– वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
अल्मोड़ा।

पत्रांक– नियोजन(04)/ 8018-24/बजट(139)/2024–25 दिनांक 23 जुलाई, 2024

विषयः– **आश्वासन सं0–22/2023 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय उप्राड़ी, वि0ख0 स्याल्दे के सुदृढ़ीकरण एवं कक्ष का निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–335/XXIV-A-2/2024-12/2023(E-54348) बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 12 जुलाई, 2024 के द्वारा जनपद अल्मोड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय उप्राड़ी, वि0ख0 स्याल्दे, के सुदृढ़ीकरण एवं कक्ष का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन रू0 2735000.00 (रु0 सत्ताईस लाख पैंतीस हजार मात्र) प्रशासकीय एवं वित्तीय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 2735000.00 (रु0 सत्ताईस लाख पैंतीस हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानव मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
नैनीताल।

पत्रांक— नियोजन(04) / 8011-17 / बजट(139) / 2024—25 दिनांक 23 जुलाई, 2024

विषयः— जनपद नैनीताल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बच्चीनगर के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति / धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0—338 / XXIV-A-2 / 2024-24/2023(E-60215) बेसिक शिक्षा अनुभाग—2 दिनांक 12 जुलाई, 2024 के द्वारा जनपद नैनीताल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बच्चीनगर, वि0ख0 कोटाबाग के भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन परिषद् द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रारम्भिक शिक्षा के आय—व्ययक में 53—वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य की औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 2569000.00 (रु0 पच्चीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 2569000.00 (रु0 पच्चीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 में अनुदान संख्या—11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक—4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय— 01 सामान्य शिक्षा— 201 प्रारम्भिक शिक्षा— 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद—53—वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 / नियोजन(04) / —— / बजट (139) / 2024—25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2 / 9769-73 /5क(02)/06/2023—24 दिनांकः 17 अगस्त, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2023—24 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 380/XXIV-A-2/2024—25/2007टी0सी0 दिनांक 09 अगस्त, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना पी0एम0 पोषण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रू0 202186 हजार (रूपये बीस करोड़ इक्कीस लाख छियासी हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रू0 20844 हजार (रूपये दो करोड़ आठ लाख चवालीस हजार मात्र), इस प्रकार कुल धनराशि रू0 223030 हजार (रूपये बाईस करोड़ तीस लाख तीस हजार मात्र) को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानवार रू0 223030 हजार (रूपये बाईस करोड़ तीस लाख तीस हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई—भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 9769-73 /5क(02)/06/2024—25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा.......................

पत्रांक— अर्थ—2/ 8007—10/5क(02)/18/2024—25 दिनांकः 23 जुलाई, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा—1 से कक्षा—8 तक अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग की धनराशि डी0बी0टी0 (DBT) के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 319/XXIV(I)-A-2/2020—14/2020 दिनांक 09.07.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा—1 से कक्षा—8 तक अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु डी0बी0टी0 (DBT) के माध्यम से धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न (बजट आवंटन आई0डी0) विवरणानुसार आवंटित करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— आवंटित धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में दिनांक 31—03—2025 तक करवाते हुए भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से संबंधित छात्र—छात्राओं को करवाने का कष्ट करें। भुगतान प्रकिया में विलम्ब/लेप्स होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

3— वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

4— योजनान्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा—1 से कक्षा—8 तक अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं को प्रति छात्र कुल रू0 318/—मात्र (जूता मूल्य रू0 153/— एवं बैग मूल्य रू0 165/—) जबकि कक्षा—6 से कक्षा—8 तक अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं को प्रति छात्र कुल रू0 462/— मात्र (जूता मूल्य रू0 187/— एवं बैग मूल्य रू0 275/—) का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

5— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सापटवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई. 47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

7— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01— प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 13—कक्षा—1 से कक्षा—8 तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकार गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0—अर्थ—2/ 8007—10/5क(02)/18/2024—25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— संबंधित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(हिमेन्द्र प्रकार गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/6839-43 /5क(02)/06/2024—25 दिनांकः 18, जुलाई, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों मदरसों में अध्ययरत् छात्र—छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 333/XXIV-A-2/2023—25/2007/Vol-1(E-73708) दिनांक 12 जुलाई, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों मदरसों में अध्ययरत् छात्र—छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु रू0 5,80,40,100 (रूपये पांच करोड़ अस्सी लाख चालीस हजार एक सौ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 5,80,40,100 (रूपये पांच करोड़ अस्सी लाख चालीस हजार एक सौ मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई—भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के के शासनादेश संख्या 201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं समय—समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02—मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42—अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/6839-43 /5क(02)/06/2024—25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्:—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/6833-37 /5क(02)/06/2024—25 दिनांक 18, जुलाई, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 332/XXIV-A-2/2024—25/2007/Vol-I(E-73720) दिनांक 12 जुलाई, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में 24938 भोजन माताओं के मानदेय का भुगतान किये जाने हेतु रू0 14,96,28 हजार (रूपये चौदह करोड़ छियानब्बे लाख अठाईस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 14,96,28 हजार (रूपये चौदह करोड़ छियानब्बे लाख अठाईस हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई—भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के के शासनादेश संख्या 201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2023 एवं समय—समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02—मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42—अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/6833-37 /5क(02)/06/2024—25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

O/C

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
देहरादून।

पत्रांक— नियोजन(04)/ 4743—49/बजट(139)/2024—25 दिनांक 24 जून, 2024

विषयः— <u>जनपद देहरादून के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनीराम मार्ग के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0—261/XXIV-A-2/2023-34/2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग—2 दिनांक 7 जून, 2024 के द्वारा जनपद देहरादून के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनीराम मार्ग के भवन पुनर्निर्माण कार्य के सापेक्ष प्रारम्भिक शिक्षा के आय—व्ययक में 53—वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चालू निर्माण कार्य की अवशेष कुल धनराशि रू0 719000.00 (रु0 सात लाख उन्नीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 719000.00 (रु0 सात लाख उन्नीस हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 में अनुदान संख्या—11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक—4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय— 01 सामान्य शिक्षा— 201 प्रारम्भिक शिक्षा— 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद—53—वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024—25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पत्रांक– अर्थ–2/ 9702–07 /5क(02)/05/2024–25 दिनांक: 14 अगस्त, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के अवशेष वेतन के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या अशा0/3252–53/बजट मांग/2024–25 दिनांक 08.08.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय में योजित याचिकाओं में पारित निर्णय एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या आ0/715–19/2024–25 दिनांक 31, मई 2024 में दिये गये निर्देश के कम में सम्बन्धित याचीगणों के प्रकरणों, जिसमें वित्त विहीन सेवाओं को जोड़ते हुए चयन/प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने हेतु जनपद स्तर पर गठित स्कीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर चयन/प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण करने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिकों को देय वेतन के अवशेष का भुगतान किये जाने हेतु रू0 35786865 (रूपये तीन करोड़ सत्तावन लाख छियासी हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) की बजट मांग उपलब्ध करायी गयी है।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 194/XXIV(1)-A-2/2024–14/2020टी0सी0 दिनांक 02.05.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से उपलब्ध बजट के सापेक्ष संबंधित रिट याचिकाओं के कम में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या आ0/715–19/2024–25 दिनांक 31, मई 2024 के अनुपालन में जनपद से प्राप्त मांग के कम में कुल रू0 35786865 (रूपये तीन करोड़ सत्तावन लाख छियासी हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) की धनराशि उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– सम्बन्धित कार्मिकों के अवशेष वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3– वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

4– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

5– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

क्रमश/2

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07-विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0 /नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02-सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0 /नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत मानक मद 05-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-अर्थ-2/ 972-07 /5क(02)/05/2024-25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी, नई टिहरी।
4- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी।
5- वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी, नई टिहरी।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

O/C

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ 9675-79 /5क(02)/06/2024–25 दिनांकः 13 अगस्त, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुंगधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 375/XXIV-A-2/24–25/2007/Vol-1(E-51835) दिनांक 06 अगस्त, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में "मुख्यमंत्री अमृत आंचल" योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुंगधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 6,00,59,000 (रूपये छः करोड़ उनसठ हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 6,00,59,000 (रूपये छः करोड़ उनसठ हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण प्राप्त कर ई–भुगतान के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वितीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02–मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 9675-79 /5क(02)/06/2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...

पत्रांक— अर्थ—2/ 1363-68 /5क(02)/05/2024—25 दिनांक: 03 मई, 2024

विषय:— वित्तीय वर्ष 2024—25 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई—स्कूल एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/XXIV(1)—A-2/2024-14/2020टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 एवं पत्रांक 194/XXIV(1)-A-2/2024—14/2020टी0सी0 दिनांक 02.05.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से उपलब्ध बजट के सापेक्ष अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई—स्कूल एवं माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2024—25 में मासिक वेतन का भुगतान किये जाने हेतु जनपद के द्वारा की गयी बजट मांग के क्रम में धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2024—25 में संबंधित विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करें। गत वित्तीय वर्षो के वेतनादि की अवशेष धनराशि हेतु पृथक से कार्मिक—वार बजट मांग पत्र निदेशालय को मय पत्रजात सहित उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही बजट आवंटन किया जाना संभव होगा। उक्तानुसार दिये गये निर्देश से इतर धनराशि व्यय किये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी की होगी।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3— वित्तीय वर्ष 2024—25 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0—04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

4— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय।

5— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI /430/एक/2018/2023—ई. 47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 1363-68 /5क(02)/05/2024—25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5— सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

1– अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, ... ।
2– वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ... ।

पत्रांक– अर्थ–2/628-31/5क(02)/03/2024–25 दिनांक: 25 अप्रैल, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/XXiv(1)–A-2/2024-14/2020टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से क्षेत्रीय निरीक्षण योजना हेतु धनराशि रू0 183476 हजार (रूपये अठारह करोड़ चौंतीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) में से मण्डलीय अपर निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/XXVii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVii(7)32/2007टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय। वेतनादि के मानक मद 01–वेतन, 03–महंगाई भत्ता, 06–अन्य भत्ता तथा 25–उपयोगिता बिलों का भुगतान मद में धनराशि ग्लोबल बजटींग में होने के कारण धनराशि का आवंटन नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार वेतनादि के देय देयकों का भुगतान ग्लोबल बजटींग के अन्तर्गत करवाना सुनिश्चित करें। मानक मद 25–उपयोगिता बिलों का भुगतान मद से कार्यालयों के विद्युत एवं जलकर के देयकों का शतप्रतिशत भुगतान तत्काल करवाना सुनिश्चित करें। संबंधित मद में बजट प्राप्त न होने पर किसी भी दशा में बाजार से सामग्री क्रय न की जाय।

3– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात ही अतिरिक्त धनराशि का मांग पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्य मानक मदों में औचित्य सहित बजट मांग पत्र उपलब्ध कराये जाने पर ही धनराशि आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

4– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

5– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI /430/एक/2018/2023–ई. 47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,
(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/628-31/5क(02)/03/2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/14/2024–25 दिनांक: 05 अगस्त, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 319/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09–07–2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण में रू0 9,00,00,000 (रूपये नौ करोड़े मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जनपदों से प्राप्त बजट मांग के सापेक्ष धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न (बजट आवंटन आई0डी0) विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मुद्रण हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित फर्मों को नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

2– वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3– किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। धनराशि अवशेष रहने पर तत्काल निदेशालय को समर्पित की जायेगी। योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय।

4– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI /430/एक/ 2018/2023–ई. 47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 20–विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण के मानक मद 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/8988–94/5क(02)/14/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ 457-60 /5क(02)/02/2024—25 दिनांकः 16 अप्रैल, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 195/XXiV(1)—A-2/2024-14/ 2020टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय व्ययक में अनुदान स0—11 के राजस्व पक्ष में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 27,30,000/— (रूपये सत्ताईस लाख तीस हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वेतनादि की मदें एवं मानक मद 25—उपयोगिता बिलों का भुगतान में बजट व्यवस्था ग्लोबल बजटिंग में होने के कारण आवंटित नहीं की जा रही है। उक्त मद में व्यय ग्लोबल बजटिंग के अन्तर्गत किया जायेगा।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2023—24 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अर्थ अनुभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा।

4— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVii(7)32/2007टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय। बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 001—निदेशन तथा प्रशासन, 03—निदेशालय अधिष्ठान के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,
(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 457-60 /5क(02)/02/2024—25/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा ....

पत्रांक— अर्थ–2/ A53-56 /5क(02)/04/2024–25 दिनांकः 16, अप्रैल, 2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 195/xxiv(1)–A-2/2024-14/2020टी0सी0 दिनांक 08.04.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना एवं शिक्षा मित्रों का मानदेय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/उप शिक्षा अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु साफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से आवश्यकतानुसार तत्काल आवंटित कर दिया जाय।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वितीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा। वेतनादि के मानक मद 01–वेतन, 03–महंगाई भत्ता, 06–अन्य भत्ता तथा 25–उपयोगिता बिलों का भुगतान मद में धनराशि ग्लोबल बजटींग में होने के कारण धनराशि का आवंटन नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार वेतनादि के देय देयकों का भुगतान ग्लोबल बजटींग के अन्तर्गत करवाना सुनिश्चित करें। मानक मद 25–उपयोगिता बिलों का भुगतान मद से विद्यालयों एवं कार्यालयों में विद्युत एवं जलकर के देयकों का शतप्रतिशत भुगतान तत्काल करवाना सुनिश्चित करें। अन्य मानक मदों में बजट मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही धनराशि आवंटन पर विचार किया जायेगा।

2— वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण विकासखण्डवार प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से निदेशालय को माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय।

3— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0— अर्थ–2/ A53-56 /5क(02)/04/2024–25/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा...................., दिनांकः 05 अगस्त, 2024

पत्रांक— अर्थ—2/8995-97/5क(02)/07/2024—25

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 319/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09—07—2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन खेल प्रतियोगिता का आयोजन योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन योजना के अन्तर्गत धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन "संलग्न विवरण" के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न विवरण के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/उप शिक्षा अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु साफ्टवेयर के माध्यम से तत्काल आवंटित किया जाय। आवंटित धनराशि को प्रत्येक दशा में दिनांक 31—03—2025 तक निम्नानुसार व्यय कर लिया जाय।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/9(150)2019/xxvii(1)/2024/दिनांक 22.03.2024(E-63865) की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वितीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

2— संलग्न विवरण के तालिका के कॉलम संख्या 4 एवं 6 में आवंटित धनराशि उप शिक्षा अधिकारियों को एवं कॉलम संख्या 7, 9, 10 एवं 11 में आवंटित धनराशि को जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी को आवंटित की जायेगी।

3— उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 944/VI-2/2011—21(6)/2011 दिनांक 16.12.2011 में निर्धारित किये गये मानकानुसार व्यय करवाना सुनिश्चित करें।

4— आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय से संबंधित देयक आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार संबंधित को वास्तविक भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जायेगा एवं अवशेष धनराशि को निदेशालय को समर्पित किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा, ऐसा किया जाने पर अथवा निदेशालय के संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारी/पटल प्रभारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की होगी।

5— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 07—खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन विवरण, अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/8995-97/5क(02)/07/2024—25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2—सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

अर्थ–2 / 5क(02) / 8995-97 / 07 / 2024–25 दिनांकः 05–08–2024

धनराशि आवंटन का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अधीन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन योजना में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की संकुल स्तर से राज्य स्तर तक होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के संचालन किये जाने में होने वाले व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

<u>वर्ष 2024–25 में संकुल स्तर से जनपद स्तर तथा जनपद से राज्य स्तर तक होने वाले खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में किये जाने वाले व्यय हेतु आवंटित धनराशि का विवरण।</u>

योजना : खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन लेखाशीर्षक 22020110107 धनराशि रूपये में

क्र. सं.	जनपद का नाम	संकुलों की संख्या	देय धनराशि @2000 रू0 प्रति संकुल (आवंटन विकासखण्ड)	विकासखण्ड संख्या	देय धनराशि प्रति विकासखण्ड@ 9000 रू0 प्रति ब्लॉक (आवंटन विकासखण्ड)	जनपद स्तरीय प्रति0 हेतु @60000, 50000, 45000 रू0 प्रति जनपद	जनपद द्वारा राज्य में प्रतिभाग करने हेतु 175 प्रतिभागियों का अनुमानित किराया, कॉलम 8 में अंकित दर से आने एवं जाने हेतु (जि.शि.अ. प्रा.शि.कार्या) (आवंटन जनपद)		राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु 175 प्रतिभागी दैनिक भत्ता रू0 150 की दर से 4 दिन के लिए। 175x150x4 दिन (जि.शि.अ. प्रा. शि.कार्या) (आवंटन जनपद)	राज्यस्तरीय प्रति हेतु अग्रिम धनराशि (जि.शि.अ. प्रा. शि.कार्या0) (आवंटन जनपद)	महायोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अल्मोड़ा	95	1,90,000	11	99,000	60,000	205	71,750	1,05,000		5,25,750
2	बागेश्वर	35	70,000	3	27,000	45,000	385	1,34,750	1,05,000		3,81,750
3	चम्पावत	24	48,000	4	36,000	45,000	345	1,20,750	1,05,000		3,54,750
4	चमोली	39	78,000	9	81,000	60,000	605	2,11,750	1,05,000		5,35,750
5	देहरादून	36	72,000	6	54,000	50,000	530	1,85,500	1,05,000		4,66,500
6	हरिद्वार	46	92,000	6	54,000	50,000	410	1,43,500	1,05,000		4,44,500
7	नैनीताल	43	86,000	8	72,000	60,000	85	29,750	1,05,000	350000	7,02,750
8	पौड़ी	115	2,30,000	15	1,35,000	60,000	545	1,90,750	1,05,000		7,20,750
9	पिथौरागढ़	64	1,28,000	8	72,000	60,000	460	1,61,000	1,05,000		5,26,000
10	रूद्रप्रयाग	27	54,000	3	27,000	45,000	775	2,71,250	1,05,000		5,02,250
11	टिहरी	75	1,50,000	9	81,000	60,000	635	2,22,250	1,05,000		6,18,250
12	ऊधमसिंह नगर	27	54,000	7	63,000	50,000	55	19,250	1,05,000		2,91,250
13	उत्तरकाशी	36	72,000	6	54,000	50,000	850	2,97,500	1,05,000		5,78,500
योग		662	1324000	95	8,55,000	6,95,000	5,885	20,59,750	13,65,000	3,50,000	66,48,750

(रूपये छियासठ लाख अड़तालीस हजार सात सौ पच्चास मात्र)

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
अल्मोड़ा।

पत्रांक– नियोजन(04)/ 8121-27 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 24 जुलाई, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुपई, वि0ख0 भैंसियाछाना, जनपद अल्मोडा के भवन की मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–334/XXIV-A-2/2024-24/2022(E-43565) बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 12 जुलाई, 2024 के द्वारा जनपद अल्मोड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुपई, वि0ख0 भैंसियाछाना के भवन की मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य की धनराशि रू0 2649000.00 (रु0 छब्बीस लाख उनचास हजार मात्र) प्रशासकीय एवं वित्तीय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि 2649000.00 (रु0 छब्बीस लाख उनचास हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
पिथौरागढ़।

पत्रांक— नियोजन(04)/ 8114-20 /बजट(139)/2024—25 दिनांक 24 जुलाई, 2024

विषयः— **जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत निर्माण कार्यों की स्वीकृति/ धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0—337/XXIV-A-2/2024-28/2023(E-73979) बेसिक शिक्षा अनुभाग—2 दिनांक 12 जुलाई, 2024 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/वृहद मरम्मत निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रारम्भिक शिक्षा के आय—व्ययक में 53—वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि **रू0 6137000.00 (रु0 इकसठ लाख सैंतीस हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि **रू0 6137000.00 (रु0 इकसठ लाख सैंतीस हजार मात्र)** को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र. स.	जनपद	वि0ख0	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (लाख में)
1	पिथौरागढ़	बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 दुदिला	भवन मरम्मत	12.48
2		बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 बेरीनाग	भवन मरम्मत	13.53
3		बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 दौलीगाड़	भवन मरम्मत	19.99
4		बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 बड़ेतलग्गा	भवन मरम्मत	15.37
				योग	61.37

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 में अनुदान संख्या—11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक—4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय— 01 सामान्य शिक्षा— 201 प्रारम्भिक शिक्षा— 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद—53—वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 8114-20 /बजट (139)/2024-25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।